

भारत का संविधान

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, "वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें". This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"Paperathon." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- Tansukh Paliwal

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range – Part wise	4
2.	Prelims MCQs	5-101
3.	Mains Questions	103-165
4.	Interview Questions	166-176

Sample Preview

CONSTITUTION OF INDIA PRELIMS PAPERATHON

Constitution of India		
Part.	Range Part wise	Articles
-	प्रस्तावना	-
I	संघ और उसके क्षेत्र	1 - 4
II	नागरिकता	5 -11
III	मौलिक अधिकार	12 - 35
IV	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत	36 - 51
IV A	मौलिक कर्तव्य	51A
V	संघ	52 - 151
VI	राज्य	152 - 237
VII	पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य	Repealed
VIII	संघ राज्यक्षेत्र	239 - 242
IX	पंचायत	243 - 243O
IXA	नगरपालिकाएँ	243P- 43ZG
IXB	सहकारी समितियाँ	243ZH- 243ZT
X	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र	244 - 244A
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद	264 - 300A
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 - 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 - 323
XIVA	न्यायाधिकरण	323A - 323B
XV	निर्वाचन	324 - 329A
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 - 342A
XVII	राजभाषा	343 - 351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 - 360
XIX	प्रकीर्ण	361 - 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान	369 - 392
XXII	संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन	393 - 395
-	अनुसूचियों	I-XII

CONSTITUTION OF INDIA PRELIMS PAPERATHON

संविधान का इतिहास और स्रोत

संविधान का इतिहास और स्रोत

1. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था ?
(a) काउन्सिल ऑफ स्टेट्स
(b) निचला सदन
(c) द्वैध शासन (Dyarchy)
(d) यह सभी

[UK PSC(J) 2023]
Ans. [d]

स्पष्टीकरण- भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई, अर्थात्, प्रशासकों के दो वर्ग थे अर्थात् कार्यकारी पार्षद और मंत्री। इसके अलावा, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना दो सदनों यानी लोकसभा और राज्य परिषद के साथ की गई थी।

2. निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के घरेलू क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है ?
(a) अनुच्छेद 2(7)
(b) अनुच्छेद 23
(c) अनुच्छेद 3
(d) अनुच्छेद 4

[UK PSC(J) 2023]
Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान- अनु.2 संयुक्त राष्ट्र चार्टर ।

स्पष्टीकरण- अनु.2 कुछ सिद्धांत प्रदान करता है जिसके अनुसार संघ और उसके सदस्य कार्य करेंगे। अनुच्छेद 2(7) में कहा गया है कि प्रस्तुत घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा गया है वह संयुक्त राष्ट्र को किसी भी राज्य के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जो मूलतः उसके आन्तरिक अधिकार क्षेत्र में आते हों, और न ही वह सदस्य राज्यों से अपने ऐसे मामले प्रस्तुत घोषणा पत्र के अधीन निपटाने के लिए संघ के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, परन्तु अध्याय 7 में किसी राज्य को किसी कार्य के लिए बाध्य करने के जो उपाय बताए गए हैं, उनको लागू किए जाने पर इस सिद्धांत का कोई असर नहीं पड़ेगा।

3. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ?
(a) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम- 1947
(b) भारतीय काउन्सिल अधिनियम-1909
(c) दि कम्प्युनल अवार्ड - 1930
(d) संविधान सभा की प्रथम बैठक - 1946

[UK PSC(J) 2023]
Ans [c]

स्पष्टीकरण- सांप्रदायिक अधिनिर्णय (मैकडोनाल्ड अधिनिर्णय के रूप में भी जाना जाता है) ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को बनाया गया था और गोलमेज सम्मेलन (1930-32) के बाद इसकी घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत के पीछे का कारण यह था कि रामसे मैकडोनाल्ड ने खुद को 'भारतीयों का मित्र' माना था और इस तरह वे भारत के मुद्दों को हल करना चाहते थे।

4. संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी?
(a) 8 दिसंबर
(b) 9 दिसंबर
(c) 10 दिसंबर
(d) 12 दिसंबर

[BJS 2020]
Ans.[b]

स्पष्टीकरण- भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल, नई दिल्ली में हुई थी। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

5. निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है?
(a) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
(b) भारत की संसद को
(c) भारत के राष्ट्रपति को
(d) भारत के संविधान को

[UPPCS(J) 2015]
Ans. [d]

स्पष्टीकरण:- भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंग अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं। कोई भी संवैधानिक मर्यादाओं को पार नहीं कर सकता है और यह उसी के अनुसार शक्ति का वितरण करता है।

6. संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था?
(a) 26 नवंबर, 1949
(b) 26 जनवरी, 1950
(c) 15 अगस्त, 1947
(d) 25 नवंबर, 1949

[BJS 2020]
Ans.[a]

स्पष्टीकरण- संविधान सभा के विचार को सामने रखने वाले कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की और इस तरह इतिहास रचा। लोकतांत्रिक भारत का सर्वोच्च कानून 1946 से 1950 तक विधानसभा द्वारा तैयार किया गया था और अंततः 26 नवंबर 1949 को w.e.f. 26 जनवरी 1950 अपनाया गया था, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

7. मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया था?
(a) ब्रिटिश संविधान
(b) अमेरिकी संविधान
(c) ऑस्ट्रेलियाई संविधान
(d) कनाडा का संविधान

[BJS 2020]
Ans.[b]

लिंकिंग प्रावधान: भाग III (अनुच्छेद 12-35) भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- भारत में मौलिक अधिकारों का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग III, जिसका शीर्षक "मौलिक अधिकार" है। भाग III के तहत कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं-

- (1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- (2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- (5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- (6) संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

8. भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिये गये हैं ?
(a) अमरीका
(b) आयरलैंड
(c) ब्रिटेन
(d) कोलम्बिया

[Raj. JLO 2019]
Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान- भाग IV (अनुच्छेद 36-51) भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इन्हें आयरलैंड संविधान से अपनाया गया है, और हमारे लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

CONSTITUTION OF INDIA PRELIMS PAPERATHON

संविधान का इतिहास और स्रोत

9. किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में 'मूलभूत अधिकार' एवं 'न्यायिक पुनर्विलोकन' की अवधारणा ली गई है ?
(a) ऑस्ट्रेलिया
(b) ब्रिटेन
(c) संयुक्त राज्य अमेरिका
(d) जापान

[Raj. JLO 2019]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 13, भाग III (अनुच्छेद 12-35) L/w 358, 359 भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान में स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया गया है लेकिन यह अनुच्छेद 13 में निहित है। यह न्यायालय की शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जाँच करता है और भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12-35 शामिल है, जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत में मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन दोनों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।

10. भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) न्यायमूर्ति वेङ्कटचलैया
(b) न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह
(c) न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी
(d) न्यायमूर्ति के० जी० बालाकृष्णन

[BJS 2020]

Ans.[a]

स्पष्टीकरण- 90 के दशक के अंत में पूरे संविधान की पुनर्विलोकन करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वेङ्कटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की पुनर्विलोकन के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था।

11. भारत में आपातकाल की उद्घोषणा के संविधान का संरचनात्मक भाग काफी हद तक निम्न से लिया गया है:
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(C) पिट्स अधिनियम, 1784
(D) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

[OJS 2016]

Ans [B]

स्पष्टीकरण:- आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग अठारह में निहित हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी या सभी भारतीय राज्यों में आपातकालीन शासन लागू करने की शक्ति है यदि "युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह" से भारत के किसी हिस्से या पूरे हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो।

संविधान का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से आपातकाल की उद्घोषणा का संरचनात्मक हिस्सा, काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।

12. निम्नलिखित में से किसने भारत में द्वैध शासन की स्थापना की?
(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

[OJS 2016]

Ans [B]

स्पष्टीकरण:- भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने भारत में द्वैध शासन, दोहरी सरकार की एक प्रणाली की शुरुआत की। 1919 के मोंटेग-

चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित में विभाजित करके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। इसने भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया।

13. भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था ?

- (a) अमेरिका
(b) जापान
(c) इंग्लैंड
(d) कनाडा

[Raj. JLO 2013-14]

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. अनुच्छेद 14-18 - समानता का अधिकार।
2. अनुच्छेद 39(घ) - समान कार्य के लिए, समान वेतन।
3. अनुच्छेद 14 - क) विधि के समक्ष समानता, ख) विधि के समक्ष समान संरक्षण।

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 14 - यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को चाहे नागरिक हो या विदेशी, अधिकार प्रदान करता है। 'विधि के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है।

14. भारतीय संविधान में अवधारणा किस देश के एकल नागरिकता की संविधान से ली गई है ?

- (a) फ्रांस
(b) कनाडा
(c) यू.के.
(d) यू.एस.ए.

[Raj. JLO 2019]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 5-11 भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- आमतौर पर एक संघीय राज्य में नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यू.के. के संविधान से अपनाया गया था।

15. निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है ?

- (a) शासन की संसदीय प्रणाली
(b) एकल नागरिकता
(c) लोकसभा अध्यक्ष
(d) मूल अधिकार

[Raj. JLO 2019]

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान- भाग III L/w 358, 359 भारत का संविधान।

स्पष्टीकरण- भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12-35 शामिल है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है और सरकार के संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, लोकसभा के अध्यक्ष की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है।

16. निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्ट मिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया ?

- (a) यू.एस.ए.
(b) ब्रिटेन
(c) कनाडा
(d) आयरलैंड

CONSTITUTION OF INDIA PRELIMS PAPERATHON

संवैधानिक सभा & प्रारूप समिति

संवैधानिक सभा

22. संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ -

- (a) 24 January, 1950
- (b) 26 November, 1949
- (c) 17 October, 1949
- (d) 10 December, 1948

[UPPCS(J) 2018]

Ans. [a]

स्पष्टीकरण:- भारत के संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार किया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर, 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे।

24. संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था ?

- (a) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
- (b) डॉ. अम्बेडकर
- (c) डॉ. राधाकृष्णन
- (d) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

[Raj. JLO 2013-14]

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
2. बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। (मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया)
3. सबसे उम्रदराज सदस्य डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
यह फ्रांसीसी प्रथा का पालन करके किया जाता है।

स्पष्टीकरण:- डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बने।

25. संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था ?

- (a) 25 नवम्बर, 1949
- (b) 26 नवम्बर, 1949
- (c) 27 नवम्बर, 1949
- (d) 28 नवम्बर, 1949

[Raj. JLO 2013-14]

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की थी।
2. 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।
3. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
4. संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए और संविधान बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।

स्पष्टीकरण:- गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है जिसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

26. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

- (a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
- (b) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- (c) सरदार वल्लभभाई पटेल
- (d) मौलाना अबुल कलाम आजाद

[Raj. JLO 2019]

Ans [b]

स्पष्टीकरण- भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफ़ारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

27. भारत के संविधान को स्वीकार किया :

- (a) गवर्नर जनरल ने
- (b) ब्रिटिश क्राउन ने
- (c) संविधान सभा ने
- (d) भारतीय संसद ने

[Raj. JLO 2019]

Ans [c]

स्पष्टीकरण- संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

प्रारूप समिति

28. संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?

- (a) जवाहरलाल नेहरू
- (b) बी० आर० अम्बेडकर
- (c) बी० एन० राव
- (d) महात्मा गाँधी

[BJS 2020]

Ans.[a]

लिंकिंग प्रावधान: भारत का संविधान की प्रस्तावना ।

स्पष्टीकरण- जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' का प्रस्ताव रखा। 'प्रस्ताव' ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और 'राष्ट्रीय लक्ष्यों' को निर्धारित किया। 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित 'उद्देश्य प्रस्ताव' अंततः भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया।

29. भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष कौन थे ?

- (a) Dr. Rajendra Prasad/ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- (b) Dr. B. R. Ambedkar/ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
- (c) M. K. Gandhi/ एम. के. गाँधी
- (d) Moti Lal Nehru/ मोतीलाल नेहरू

[Raj. JLO 2013-14]

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। बी.आर.अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उन्हें "भारत के संविधान के जनक" के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्पष्टीकरण:-

मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे।

30. संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी :

- (a) 7
- (b) 8
- (c) 10
- (d) 5

[Raj. JLO 2019]

Ans [a]

स्पष्टीकरण- 29 अगस्त 1947 को, भारतीय संविधान के प्रारूपण-समिति की नियुक्ति की गई और इसमें सात सदस्य थे यानी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी, बी.आर. अम्बेडकर (प्रारूपण समिति के अध्यक्ष), के.एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान।

भारत का संविधान
मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

भारत का संविधान

संविधान, संविधानवाद और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

[BJS 1980]

उत्तर - भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार अधिनियम, 1935 एक महत्वपूर्ण विधि थी जिसने भारत के वर्तमान संविधान के लिए आधार तैयार किया। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अधिक स्वशासी संरचना की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, हालांकि यह अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता देने से पीछे रह गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि, यह महासंघ कभी प्रभाव में नहीं आया क्योंकि रियासतों इसमें शामिल नहीं हुईं।
2. अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक शक्ति और जिम्मेदारी प्रदान की गई। प्रांतीय विधायिकाओं को स्थानीय मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया गया था, और राज्यपालों को कुछ आरक्षित मामलों को छोड़कर, मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी।
3. अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, जिसमें संघीय विधानसभा (निचला सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन) शामिल थीं। कुछ प्रांतों को एक विधान सभा और एक विधान परिषद के साथ द्विसदनीय विधायिकाएँ भी दी गईं।
4. जबकि द्वैध शासन प्रणाली (भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर शुरू की गई) को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था, इसे 1935 अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर पेश किया गया था। विषयों को "संघीय" और "प्रांतीय" सूचियों में विभाजित किया गया था, कुछ "आरक्षित" विषयों का प्रबंधन गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता था और "स्थानांतरित" विषयों का प्रबंधन विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा किया जाता था।
5. इस अधिनियम ने मतदाताओं का विस्तार किया, जिससे लगभग 10% भारतीय आबादी को मतदान का अधिकार मिला। यह एक उल्लेखनीय वृद्धि थी, हालांकि अभी भी जनसंख्या के एक छोटे से भाग को मतदान करने की अनुमति थी।
6. इस अधिनियम ने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती था। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों के बीच विवादों को सुलझाने और उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था।
7. अधिनियम ने सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए विषयों की अलग-अलग सूची के साथ, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया।

2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारत के वर्तमान संविधान में क्या योगदान दिया? प्रत्येक के सुसंगत प्रावधानों को इंगित करते हुए चर्चा करें।

[BJS 1986]

उत्तर - भारत सरकार अधिनियम, 1935 को अक्सर भारत के संविधान का अग्रदूत माना जाता है। इसके कई प्रावधानों ने भारतीय संविधान में पाए जाने वाले सिद्धांतों और संरचनाओं के लिए आधार तैयार किया:

- अधिनियम ने केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के साथ एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। संविधान ने एक संघीय ढांचे को अपनाया जहां सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। संविधान में उल्लिखित शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित विभाजन के समान है।
- अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर संघीय विधानसभा और राज्य सभा के साथ एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। भारतीय संविधान ने एक द्विसदनीय संसद की भी स्थापना की जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल थी।
- राज्यपाल प्रांतीय सरकार का प्रमुख होता था, जिसके पास कुछ क्षेत्रों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति होती थी। राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, विशेषकर आपात स्थिति में। राज्य की कार्यपालिका शाखा के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका संविधान में जारी है, यद्यपि उसकी शक्तियों और सीमाओं को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- गवर्नर-जनरल के पास आपात की घोषणा करने और संकट के समय प्रांतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ थीं। संविधान में आपात प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356, और 360) की जड़ें 1935 के अधिनियम में हैं।
- इस अधिनियम ने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की ओर पहला कदम था। भारतीय संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करके इसका विस्तार किया।
- अधिनियम में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों की देखरेख के लिए केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) के लिए प्रावधान बनाए रखा गया है, जिससे लोक सेवाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

3. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

[BJS 1980, 1991]

उत्तर - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक विधि था जिसके कारण 15 अगस्त, 1947 को दो स्वतंत्र अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को चिह्नित किया और भारत और पाकिस्तान के संप्रभु राष्ट्रों की नींव रखी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- इस अधिनियम में भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति और देश को दो अलग-अलग अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया गया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था।
- प्रत्येक अधिराज्य को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया था यदि वह चाहे।
- भारत और पाकिस्तान दोनों को पूर्ण विधायी संप्रभुता प्रदान की गई। दोनों अधिराज्यों की विधायिकाओं को ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप के बिना अपने स्वयं के संविधान बनाने और स्वयं शासन करने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम ने भारत में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। इसके बजाय, प्रत्येक अधिराज्य में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर-जनरल होना था, लेकिन केवल औपचारिक शक्तियों के साथ। गवर्नर-जनरल को संबंधित अधिराज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था।
- रियासतें, जो ब्रिटिश आधिपत्य के तहत अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र थीं, को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था।
- अधिनियम में दो नए अधिराज्यों के बीच ब्रिटिश भारत की आस्तियों और दायित्वों के विभाजन का प्रावधान किया गया था। इसमें सेना, सिविल सेवाओं और अन्य प्रशासनिक तंत्र का विभाजन शामिल था।
- जब तक नए संविधान नहीं बन जाते, तब तक भारत और पाकिस्तान का शासन भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत चलाया जाना था, जिसमें आवश्यकतानुसार जरूरत के हिसाब से संशोधन किए जा सकते थे।
- अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान की मौजूदा संविधान सभाओं को उनके संबंधित संप्रभु विधायी निकायों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। ये सभाएँ दो नए राष्ट्रों के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थीं।

भारतीय संविधान की प्रकृति

1. “भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय लेकिन सार रूप में एकात्मक है”। टिप्पणी करें।

[UP PCS] 2003]

Ans. भारतीय संविधान को अक्सर संघीय और एकात्मक विशेषताओं के एक अद्वितीय मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे इसे संघीय या एकात्मक संविधान के रूप में सख्ती से वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। यह कथन “भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय लेकिन सार रूप में एकात्मक है” इस दोहरी प्रकृति को समाहित करता है। इसे कभी-कभी अर्ध-संघीय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महासंघ और संघ दोनों के तत्व शामिल होते हैं। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो संघ सरकार, राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों और उनके बीच साझा की गई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं

1. शक्तियों का विभाजन
2. द्विसदनीय विधानमंडल
3. लिखित एवं कठोर संविधान
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. दोहरी शासन प्रणाली

भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं

1. मजबूत केंद्र सरकार
2. एकल नागरिकता
3. राज्य की सीमाओं को बदलने की शक्ति
4. एकीकृत न्यायपालिका
5. आपात प्रावधान
6. राज्यपालों की नियुक्ति

भारत का संविधान

साक्षात्कार प्रश्न - हल

Sample Preview

INTERVIEW QUESTIONS

भारत का संविधान

1. **संविधानवाद क्या है?**

उत्तर- संविधानवाद एक ऐसी राजनीति की अवधारणा है जो संविधान के भीतर है और जिसमें सरकार की शक्तियां सीमित और विधि के तहत हैं।

2. **भारत का संविधान कब अपनाया गया था?**

उत्तर- 26 नवंबर 1949 को।

3. **भारत का संविधान कब लागू हुआ था?**

उत्तर- सर, 26 जनवरी 1950 को।

4. **उद्देशिका में पहला संशोधन कब किया गया था?**

उत्तर- सर, 1976 में।

5. **किस संशोधन अधिनियम द्वारा?**

उत्तर- सर, 42वां संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1976।

6. **क्या संशोधन किया गया?**

उत्तर- सर, उद्देशिका में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्षता' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

7. **भारत एक 'राज्यों का संघ' है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है?**

उत्तर- सर, अनुच्छेद 1 में।

8. **किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित की गई है?**

उत्तर- सर, संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत।

9. **संविधान का नाम भारत का संविधान है। इसका उल्लेख कहाँ है?**

उत्तर- सर, अनुच्छेद 393 में।

10. **मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों में क्या अंतर है?**

उत्तर- संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार हैं, जबकि मानवाधिकार मौलिक अधिकारों से व्यापक हैं। सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं।

11. **मौलिक अधिकारों को कब प्रतिबंधित किया जा सकता है?**

उत्तर- (1) सशस्त्र बल के सदस्यों के संबंध में (अनुच्छेद 33)
(2) जबकि सैनिक विधि लागू है (अनुच्छेद 34)
(3) संविधान के संशोधन द्वारा (अनुच्छेद 368)
(4) आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान (अनुच्छेद 358, 359)

12. **किस अनुच्छेद में 'राज्य' की परिभाषा दी गई है?**

उत्तर- सर, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में।

13. **न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है?**

उत्तर- न्यायिक पुनर्विलोकन वह शक्ति है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करता है। वे किसी भी विधि को लागू करने से इंकार कर सकते हैं जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है।

14. **न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?**

उत्तर- सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत।

15. **अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' शब्द में क्या शामिल है ?**

उत्तर- अनुच्छेद 13 के प्रयोजनों के लिए, 'विधि' शब्द में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, अधिसूचना, विनियमन, रिवाज़ या प्रथा शामिल है।

16. **विधि नियम का क्या अर्थ है?**

उत्तर- विधि नियम का अर्थ है- कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति देश के सामान्य विधि और सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

17. **आप उत्तर प्रदेश (अन्य राज्य) के निवासी हैं इसलिए हम आपका चयन नहीं करते हैं? क्या यह संवैधानिक है?**

उत्तर- सर जी नहीं, अनुच्छेद 16 (2) निवास स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

18. **अनुच्छेद 16(6) में क्या प्रावधान है?**

उत्तर- सर, आर्थिक आधार पर सवर्णों को (103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा) 10% आरक्षण दिया गया है।

19. **आरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद में है ?**

उत्तर- सर, अनुच्छेद 16(4), 16(6) और 15(4), 15(6) में।

20. **पिछड़ेपन का आधार क्या है ?**

उत्तर- सर, जाति, प्रास्थिति, अवसर।

21. **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ AIR 1993 SC का फैसला कब हुआ था?**

उत्तर- सर, 1993 में।

22. **अनुच्छेद 20 के बारे में बताएं?**

उत्तर- अनुच्छेद 20 उन अभियुक्त व्यक्तियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक सुरक्षा इस प्रकार हैं -

- (i) कार्योत्तर कानून से सुरक्षा
- (ii) दोहरे दंड से सुरक्षा
- (iii) आत्म-अभिसंधय से सुरक्षा

23. **'निमो डिबेट विस वेक्सारी' क्या है? या 'दोहरा दंड' क्या है?**

उत्तर- सर, एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाया और दंडित नहीं किया जा सकता है।

24. **प्रावधान कहाँ है?**

उत्तर- हाँ सर, अनुच्छेद 20 (2) के तहत।

25. **दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी प्रावधान है ?**

उत्तर- सर, धारा 300 के तहत।

26. **अनुच्छेद 20 (2) और धारा 300 में क्या अंतर है?**

उत्तर- अनुच्छेद 20 (2) में 'अभियोजन और दंड' वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जबकि धारा 300 के तहत 'दोषी या दोषमुक्त' वाक्यांश है। यदि अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है, तो अनुच्छेद 20 (2) उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

27. **दंड प्रक्रिया संहिता का अनुच्छेद 20 (2) और धारा 300, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से कैसे भिन्न है?**

उत्तर- अनुच्छेद 20 (2) और धारा 300 आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हैं। जबकि धारा 11 सिविल मामले से संबंधित है।

INTERVIEW QUESTIONS

भारत का संविधान

28. अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है?

उत्तर- अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

29. 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का क्या अर्थ है?

Ans. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक व्यापक श्रेणी की शब्दावली है और इसमें कई अधिकार शामिल हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का गठन करते हैं और उनमें से कुछ को विशिष्ट मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 19 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है।

30. किस संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है?

उत्तर- संविधान का 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 (अनुच्छेद 21-ए)।

31. हर किसी को अपनी पसंद के वकील से सुरक्षा पाने का अधिकार है। संविधान में ये प्रावधान कहाँ है?

उत्तर- सर, अनुच्छेद 22 के तहत।

32. अनुच्छेद 22 के तहत क्या प्रावधान है?

उत्तर- अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

33. अभियुक्तों को संवैधानिक संरक्षण क्या हैं?

उत्तर- (1) बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता।
(2) वकील से परामर्श करने का अधिकार
(3) अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार
(4) गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार
(5) कार्योत्तर विधि से सुरक्षा
(6) दोहरे दंड से सुरक्षा
(7) आत्म-अभियोजन से सुरक्षा।

34. जनहित याचिका (पीआईएल) कौन दायर कर सकता है?

उत्तर- कोई भी नागरिक या संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट दायर कर सकता है जो गरीबी या किसी अन्य कारण से न्यायालय में रिट दायर करने में सक्षम नहीं है।

35. जनहित याचिका (पीआईएल) के जनक कौन हैं?

उत्तर- सर, माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती।

36. जनहित याचिका (पीआईएल) क्या है?

उत्तर- जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए विधि का उपयोग है। यह वंचित समूहों या व्यक्तियों के वाद को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

37. जनहित याचिका (पीआईएल) के क्या फायदे हैं?

उत्तर- यह न्यायालय के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। इससे कोई भी वर्ग या वर्ग के लोग अपनी याचिका के साथ न्यायालय जा सकते हैं।

38. जनहित याचिका (पीआईएल) की जननी कौन है?

उत्तर- सर, पुष्पा कपिला हिगोरानी। पीके हिगोरानी एक भारतीय वकील थी जिन्हें जनहित याचिका की जननी माना जाता है। तत्कालीन प्रचलित कानूनों के अनुसार, याचिका केवल पीड़ित या रिश्तेदार द्वारा दायर की जा सकती है। कपिला और उनके पति निर्मल हिगोरानी बिहार में विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे।

39. संविधान में जनहित याचिका (पीआईएल) का प्रावधान कहाँ है?

उत्तर- अनुच्छेद 32 और 226 में पीआईएल की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा पेश (विकसित) किया गया है।

40. न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- न्यायालय कई जनहित मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और सरकार और अधिकारियों को संविधान और अन्य कानूनों के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इस कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है।

41. दया याचिका क्या है?

उत्तर- पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका जैसे सभी कानूनी और न्यायिक उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, दया याचिका मौत की सजा पाने वाले दोषी के लिए उपलब्ध अंतिम उपाय है। दया याचिका मांगने के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

42. क्या पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले या आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति किसी राहत का हकदार है?

उत्तर- हाँ सर, उपचारात्मक याचिका (सहमति से विवाह विच्छेद के मामले में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्राकेस (2002 SC) से उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई थी।)

43. उपचारात्मक याचिका क्या है?

उत्तर- सर, अंतिम सजा के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय का हनन न हो और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

44. उपचारात्मक याचिका कौन दायर कर सकता है

उत्तर- अंतिम सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। इस पर विचार किया जा सकता है यदि याचिका यह स्थापित करती है कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था और आदेश पारित करने से पहले न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई। यह नियमित के बजाय दुर्लभ होना चाहिए।

45. पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका में क्या अंतर है?

उत्तर- पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका के बीच मुख्य अंतर यह है कि पुनर्विचार याचिका भारत के संविधान में स्वाभाविक रूप से प्रदान की जाती है जबकि उपचारात्मक याचिका का उद्भव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका अनुच्छेद 137 में निहित की व्याख्या के संबंध में है।

46. क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को भी न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए चुनौती दी जा सकती है?

OR / या

उपचारात्मक याचिका क्या है?

उत्तर- सर, उपचारात्मक याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, AIR 2002 SC 1771 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय अपने अंतिम निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है जिसे रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।

INTERVIEW QUESTIONS

भारत का संविधान

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सात चरण होते हैं -

- (1) **उच्च न्यायालय का कॉलेजियम** - तीन न्यायाधीश कॉलेजियम बनाते हैं अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- (2) **सिफ़ारिश भेजना** - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य सरकार और राज्यपाल को सिफ़ारिश भेजेंगे।
- (3) **राज्यपाल केंद्रीय कानून मंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं-** राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद अपनी टिप्पणी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं।
- (4) **केंद्रीय कानून मंत्री सीजेआई को** - केंद्रीय कानून मंत्री प्रस्ताव पर विचार करने के बाद पूरे विचार के साथ प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे।
- (5) **सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम** - न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से गठित होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री को भेजेंगे।
- (6) **प्रधान मंत्री से राष्ट्रपति** - केंद्रीय कानून मंत्री का तात्पर्य प्रधान मंत्री से होगा जो नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा।
- (7) **राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति-** राष्ट्रपति वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। चयनित व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच पत्राचार लिखित रूप में होगा।

About the Linking App

Linking App Features

Get all E-Book of

- Linking Charts
- Paperation Booklets
- Study Material E-Notes
- Free Video Lectures Links

How to use Linking App

- Register Yourself then Login
- Subscribe to the plan on validity basis (i.e. 1 Month, 6 Months or 12 Months)
- Go to My Courses
- Get access to all Linking Publications

How to download Linking App

You can download Linking App

via Play Store 

If you can't find the App on Play Store

Kindly use this QR Code to download the App.





ALL-IN-ONE PAPERATHON[®]

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.

Available in English and Hindi Edition



Linking Support

988 774 6465 (Classes)

773 774 6465 (Publication)



Scan this QR

Order Now or visit

www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**   

Linking Paperathon Booklets

Unique Features of Paperathon Booklet



- ★ Subject-wise presentation with weightage analysis table
- ★ Covered Last Previous Years Papers
- ★ Linked Provision
- ★ Diglot Q&A (English + Hindi)
- ★ Explanation (English + Hindi)
- ★ QR Code for Paper Solution Free Videos
- ★ QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams



Linking Charts



Scan this QR Code
Place Order

Linking Bare Acts



Tansukh Paliwal

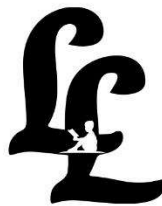
Sample Preview

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range – Part & Order wise	4-5
2.	Prelims MCQs	6-100
3.	Mains Questions	101-196
4.	Interview Questions	197-210

Sample Preview

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 PRELIMS PAPERATHON

अनुक्रमणिका		
1.	CPC Range (Part Wise)	Sections
-	प्रारंभिक	1-8
I.	साधारणतः वाद के विषय में	9-35B
II.	निष्पादन	36-74
III.	आनुषंगिक कार्यवाही	75-78
IV	विशिष्ट मामलों में वाद	79-88
V.	विशेष कार्यवाहियां	89-93
VI.	अनुपूरक कार्यवाहियां	94-95
VII.	अपील	96-112
VIII.	निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण	113-115
IX.	उच्च न्यायालयों से संबंधित विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं हैं	116-120
X.	नियम	121-131
XI.	प्रकीर्ण	132-158
2.	CPC Range (Order Wise)	Rules
I.	वादों के पक्षकार	13
II.	वाद की विरचना	7
III.	मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर	6
IV	वादों का संस्थित किया जाना	2
V.	समन का निकला जाना और उनकी तामील करना	30
VI.	अभिवचन साधारणतः	18
VII.	वादपत्र	17
VIII.	लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा	10
IX.	पक्षों की उपसंज्ञाति और अनुपसंज्ञाति का परिणाम	14
X.	न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा	4
XI.	प्रकटिकरण और निरीक्षण	23
XII.	स्वीकृतियाँ	9
XIII.	दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना	11
XIV.	विवादकों का स्थिरीकरण और विधि विवादकों के आधार पर या सहमत विवादकों पर वाद का अवधारण	7
XV.	प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा	4
XVI.	साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी	21
XVIA.	कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी	7
XVII.	स्थगन	3
XVIII.	वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा	19
XIX.	शपथपत्र	3

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 PRELIMS PAPERATHON

प्रारंभिक

प्रारंभिक

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (46 of 1999) कब प्रवर्तन में आया ?

- (a) 1 January, 2002 (b) 1 July, 2002
(c) 1 January, 2003 (d) 1 July, 2003

[UK PSC(J) 2023]

Ans [b]

स्पष्टीकरण:- सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 1 जुलाई, 2002 को लागू हुआ था।

2. 'म्यूटेडिस म्यूटेन्डिस' का क्या अर्थ है ?

- (a) आपसी सहमति
(b) जैसा है जहाँ है
(c) परस्पर समावेशी
(d) आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू करें

[UK PSC(J) 2023]

Ans [d]

स्पष्टीकरण:- 'आवश्यक परिवर्तनों सहित' का अर्थ है 'सभी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं' या 'आवश्यक परिवर्तनों के साथ'। वाक्यांश यथोचित परिवर्तन यह इंगित करता है कि यद्यपि विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है, मुख्य बिंदु वही रहता है।

3. नीचे दिये गये विकल्पों में विधिक प्रतिनिधि के बारे में क्या सत्य नहीं है?

- (a) एक व्यक्ति जो विधि में एक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
(b) कोई भी व्यक्ति जो एक मृतक की सम्पत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है।
(c) एक व्यक्ति जिस पर मुकदमा करने या मुकदमा करने वाले पक्ष की मृत्यु होने पर सम्पत्ति न्यायगत होती है।
(d) यह शब्द केवल निष्पादकों तक सीमित है और इसमें प्रशासक शामिल नहीं है।

[UK PSC(J) 2023]

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 11, स्पष्टीकरण VI - रेस ज्युडिकेटा (प्राड् न्याय) प्रतिनिधि वाद पर लागू होती है।
2. धारा 50 - विधिक प्रतिनिधि।
3. आदेश 1, नियम 8 - प्रतिनिधि वाद।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(11) - एक विधिक प्रतिनिधि विधि में एक व्यक्ति है जो एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कोई भी शामिल है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, साथ ही वह व्यक्ति जिसे संपत्ति पक्षकार की मृत्यु पर हस्तांतरित होती है।

4. निम्नलिखित को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए -

(I) वादों का संस्थित किया जाना

(II) पूर्व न्याय

(III) विधिक प्रतिनिधि

(IV) गिरफ्तारी और निरोध

सही उत्तर चुनिए

Code-

- (a) I, II, III & IV (b) I, III, II & IV
(c) II, I, III & IV (d) II, III, I & IV

[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 11, 26, 50, 55 CPC।

स्पष्टीकरण- धारा 11 प्राड् न्याय से संबंधित है।

धारा 26 वाद के संस्थित करने से संबंधित है।

धारा 50 विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है।

धारा 55 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है।

5. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (13) के अंतर्गत 'जंगम सम्पत्ति में सम्मिलित है -

- (a) उगते पेड़
(b) इमारतें
(c) उगती फसलें
(d) धन

[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(13) L/w धारा 19, O.20 R.10, O.21 R.12, 31, 43, 43A, 47, 74-81, O.26 R.10g CPC।

स्पष्टीकरण- धारा 2(13) "जंगम संपत्ति" को परिभाषित करती है। यह प्रावधान करती है कि जंगम संपत्ति में उगती फसलें शामिल हैं।

6. सूची - 1 को सूची-I से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए -

सूची - 1		सूची - 2	
(A)	डिक्री का निष्पादन	1.	धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता
(B)	अनुरोध पत्र	2.	धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता
(C)	विधिक प्रतिनिधि	3.	धारा 77 सिविल प्रक्रिया संहिता
(D)	वाद का संस्थित करना	4.	धारा 38 सिविल प्रक्रिया संहिता

Code -

- (a) A-1, B-2, C-4, D-3.
(b) A-2, B-4, C-1, D-3
(c) A-4 B-3 C-1, D-2
(d) A-3, B-4, C-1, D-2

[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 26, 38, 50, 77 CPC।

स्पष्टीकरण- धारा 26 वाद के संस्थित करने से संबंधित है।

धारा 38 डिक्री के निष्पादन से संबंधित है।

धारा 50 विधिक प्रतिनिधि से संबंधित है।

धारा 77 अनुरोध पत्र से संबंधित है।

7. निम्नलिखित में से कौनसा एक सुमेलित नहीं है?

- (a) धारा 2 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता - डिक्री
(b) धारा 2 (9) सिविल प्रक्रिया संहिता - निर्णय
(c) धारा 2 (13) सिविल प्रक्रिया संहिता - आदेश
(d) धारा 2(6) सिविल प्रक्रिया संहिता - विदेशी निर्णय

[UP PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(13) L/w धारा 19, O.20 R.10, O.21 R.12, 31, 43, 43A, 47, 74-81, O.26 R.10g CPC।

स्पष्टीकरण- धारा 2(13) "जंगम संपत्ति" को परिभाषित करती है। यह प्रावधान करती है कि जंगम संपत्ति में उगती फसलें शामिल हैं।

8. सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिए

सूची - I		सूची - II	
(A)	न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा	1.	धारा 74 सिविल प्रक्रिया संहिता

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 PRELIMS PAPERATHON

भाग : I - साधारणतः वाद के विषय में

स्पष्टीकरण- धारा 2(2) "डिक्री" को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, डिक्री को निम्नलिखित आवश्यक बातों से समझा जा सकता है-

1. एक निर्णय;
2. किसी वाद में न्यायनिर्णयन अवश्य दिया गया होगा;
3. इसने वाद में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित किया होगा;
4. ऐसा निर्धारण निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए;
5. निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

डिक्री के प्रकार- सीपीसी निम्नलिखित तीन प्रकार के डिक्री को मान्यता देती है -

1. **प्रारंभिक डिक्री-** यह एक पूर्व चरण है। एक डिक्री को प्रारंभिक डिक्री के रूप में कहा जाता है जब वह वाद का पूरी तरह से स्थिरीकरण नहीं करती है।
2. **अंतिम डिक्री** - अंतिम डिक्री एक डिक्री है जो एक वाद का पूरी तरह से निपटारा करती है और पक्षों के बीच विवाद के सभी मामलों का निपटारा करती है।
3. **आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री-** सीपीसी के तहत पारित डिक्री आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है।

65. निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ राजस्व न्यायालयों की संहिता के अनुप्रयोग से संबंधित है?

- (A) धारा 5 (B) धारा 2
(C) धारा 3 (D) धारा 4

[HPJS 2018]

Ans [A]

लिंकिंग प्रावधान धारा 5 I/w धारा 4(1), 43, 44 सीपीसी।

स्पष्टीकरण- धारा 5 राजस्व न्यायालयों में सीपीसी के आवेदन से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, "राजस्व न्यायालय" का अर्थ है कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व या लाभ से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों पर विचार करने के लिए किसी स्थानीय विधि के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय, लेकिन इसमें ऐसे वादों या कार्यवाहियों को सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाही के रूप में विचार करने के लिए सीपीसी में मूल क्षेत्राधिकार रखने वाला सिविल न्यायालय शामिल नहीं है।

भाग : I

साधारणतः वाद के विषय में

66. सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा RES JUDICATA (प्राज्ञ्याय) की संकल्पना से संबंधित है?

- (A) धारा 10
(B) धारा 11
(C) धारा 12
(D) धारा 13.

[AIBE XVII - 2023]

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 11 L/w धारा 9, 10, 12 CPC, 115 IEA, 300 CRPC, अनुच्छेद 20(2) COI।

स्पष्टीकरण - धारा 11 पूर्व न्याय से संबंधित है। Res-judicata का मतलब पहले से ही अधिनिर्णित या अधिनिर्णित या तय किया गया मामला है। यह न्यायिक निर्णयों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर आधारित है। Res Judicata का सिद्धांत 3 सिद्धांतों पर आधारित है-

1. किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए दो बार तंग नहीं करना चाहिए।
2. यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।
3. एक न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

67. निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है ?

विषयवस्तु सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएँ

- (a) वाद का रोक दिया जाना 9
(b) पूर्व न्याय 11
(c) वादों का संस्थित किया जाना 13
(d) आगे वाद लाने से वर्जित 15

[UK PSC(J) 2023]

Ans [b]

स्पष्टीकरण:- निम्नलिखित वर्गों का सही मिलान है-

1. वादों पर रोक - धारा 10
2. वाद संस्थित करना - धारा 26।
3. आगे के वाद का वर्जन - धारा 12।

68. एक लैटिन मैक्सिम "Ut pendent Nihil Innovatur" अपना स्थान किस रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में पाती है?

- (a) पूर्वन्याय
(b) इजसडेन जेनेरिस
(c) लिस पेन्डेन्स
(d) रेस इप्सा लोक्यूटर

[UK PSC(J) 2023]

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 52 - लंबित वाद।

स्पष्टीकरण:- सिद्धांत एक लैटिन सूक्ति "यूट पेंडेन्ट निहिल इनोवेटूर" से लिया गया है जिसका अर्थ है कि मुकदमेबाजी के दौरान कुछ भी नहीं बदला जाना चाहिए। करेंगे जहां उनकी प्रतियां वादपत्र या लिखित कथन के साथ दायर की गई हैं।

69. रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है :

- (a) केवल वादों पर
(b) केवल मध्यस्थता की कार्यवाही पर
(c) केवल निष्पादन कार्यवाही पर
(d) वादों और निष्पादन कार्यवाही, दोनों पर

[UK PSC(J) 2023]

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 47 - बाद के वादों पर रोक।
2. धारा 12 - आगे के वाद का वर्जन।

स्पष्टीकरण:- धारा 11, स्पष्टीकरण VII- रेस-जुडिकाटा (प्राज्ञ न्याय) के प्रावधान एक डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही पर लागू होते हैं। रेस ज्यूडिकेटा (प्राज्ञ न्याय) पहले से ही न्यायनिर्णित या ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें निर्णय पहले से ही हो। रेस-जुडिकाटा (प्राज्ञ न्याय), वाद दायर करने पर रोक लगाता है।

70. निम्नलिखित में कौन सा लैटिन शब्द 'रेस' का सही अर्थ है ?

- (a) विषय या वस्तु
(b) विवाद्यक
(c) दावा
(d) उपचार

[UK PSC(J) 2023]

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 10 - रेस सब-ज्यूडिस (निर्णय के तहत)
2. धारा 11 - रेस ज्यूडिकेटा (प्राज्ञ न्याय)

स्पष्टीकरण:- 'रेस' लैटिन में "बात" या "पदार्थ" के लिए है। सामान्य विधि में, यह किसी व्यक्ति के विपरीत किसी वस्तु, रुचि या स्थिति का उल्लेख कर सकता है। उदाहरण के लिए, रेस इप्सा लोक्यूटर (बात खुद के लिए बोलती है), रेस ज्यूडिकेटा, या रेस जूरिसडीक्शन आदि।

ORDER I

वार्दों के पक्षकार

228. सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस आदेश में पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन का प्रावधान किया गया है ?

- (a) आदेश 1 नियम 9
- (c) आदेश 1 नियम 7
- (b) आदेश 1 नियम 8
- (d) आदेश 1 नियम 8A

[UK PSC(J) 2023]

Ans [a]

लिकिंग प्रावधान:- आदेश 1, नियम 13 - असंयोजन या कुसंयोजन के रूप में आपत्तियां।

स्पष्टीकरण:- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 9 में कहा गया है कि कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण समाप्त नहीं होगा।

229. किसी एक मामले में जहाँ कि आदेश 1 के नियम 1 की शर्त मौजूद नहीं हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति एक मुकदमे में वादी के रूप में शामिल हो जाते हैं, जो उनका परिणाम होगा

- (a) वादियों का संयोजन
- (b) वादियों का कुसंयोजन
- (c) प्रतिवादियों का संयोजन
- (d) संयुक्त प्रतिज्ञाकर्ता

[UK PSC(J) 2023]

Ans. [b]

लिकिंग प्रावधान:-

1. आदेश 1, नियम 9 - कुसंयोजन और असंयोजन।
2. आदेश 1, नियम 13 - असंयोजन या कुसंयोजन के रूप में आपत्तियां।

स्पष्टीकरण:- यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को क्रमशः आदेश I, नियम 1 और 3 के उल्लंघन में एक वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है और वे न तो आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार, यह पक्षकारों के कुसंयोजन का मामला है।

230. एक 10 फीट चौड़ाई वाली सार्वजनिक सड़क को प्रयोग करने का अधिकार अतिक्रमण के कारण प्रभावित है। 'A' वाद दायर करेगा :

- (a) प्रतिनिधि मुकदमा ऑर्डर 1 नियम 8 की आवश्यकता है।
- (b) प्रतिनिधि मुकदमा ऑर्डर 1 नियम 8 की आवश्यकता नहीं है।
- (c) रिट क्षेत्राधिकार
- (d) इनमें से कोई नहीं

[UK PSC(J) 2023]

Ans [b]

231. कोई वाद विफल हो सकता है:

- (a) उचित पक्षकार के असंयोजन से
- (b) आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन से
- (c) आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से
- (d) उचित पक्षकार के कुसंयोजन से

[MPCJ 2018- I, CG PSC(J) 2017, RJS 2016]

Ans. [c]

स्पष्टीकरण - आदेश 1 नियम 1-3A में पक्षकारों का संयोजन किया जाता है और यदि न्यायालय को लगे की वाद में उलझन या विलम्ब होगा तो पृथक विचारण का भी आदेश दे सकता है।

Rule 1- वादियों का संयोजन।

Rule 2 - न्यायालय द्वारा पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति।

Rule 3 - प्रतिवादीयों का संयोजन।

Rule 3A - पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति।

असंयोजन:- पक्षकार बनाना जरूरी नहीं था पर बनाया गया।

कुसंयोजन:- पक्षकार बनाना चाहिए था पर नहीं बनाया गया।

आवश्यक पक्ष:- जिसके बिना वाद आगे नहीं चल सकता था।

उचित पक्ष:- ऐसा पक्ष जो वाद में हो तो भी सही और ना हो तो भी ज्यादा फर्क ना पड़े।

नियम 9- यदि कोई आवश्यक पक्ष (neccessary party) का असंयोजन (non-joinder) तो वाद विफल हो जायेगा।

232. वाद के लम्बित रहने के दौरान एक प्रकरण में समनुदेशन अथवा किसी हित के न्यागमन के कारण एक पक्षकार जोड़ा अथवा प्रतिस्थापित किया गया है, ऐसे पक्षकार के सम्बन्ध में वाद संस्थित हुआ होना माना जायेगा:

- (a) उस दिनांक को जब वाद संस्थित किया गया था
- (b) जब उसे पक्षकार बनाया गया था
- (c) उस दिनांक को जब जोड़ने अथवा प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

[RJS 2017]

Ans. [a]

स्पष्टीकरण- परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 21 पक्षकारों को संयोजित करने व प्रतिस्थापित करने पर प्रभाव के बारे में बताती है- कोई पक्ष जोड़ा जाता है वहा उसके संबंध में वाद उस दिन संस्थित किया गया माना जायेगा जब पक्षकार बना।

इसके दो अपवाद है-

1. न्यायालय का समाधान की ऐसा लोप सदभावना का परिणाम है।
2. जब पक्षकार समनुदेशन या न्यायगमन के कारण पक्षकार बना या एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 में पक्षकार जोड़े व प्रतिस्थापित किये जाते है।

233. सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है ?

- (a) Order 1, Rule 1
- (b) Order 2, Rule 2
- (c) Order 1, Rule 9
- (d) Order 1, Rule 8

[UK PCS(J) 2018, UK PCS(J) 2016]

Ans. [d]

लिकिंग प्रावधान :-

1. धारा 11 स्पष्टीकरण 6 - पूर्व न्याय का नियम प्रतिनिधि वाद में भी लागू रहेगा।
2. आदेश 7 नियम 4 - जहाँ प्रतिनिधिवाद, वादपत्र में कथन किया जायेगा।
3. आदेश 23 नियम 3ख स्पष्टीकरण - 'प्रतिनिधि वाद' कौनसे होंगे।
5. आदेश 23 नियम 3ख - जहाँ प्रतिनिधि वाद में समझौता, तुष्टि, करार, वहा न्यायालय की अभिव्यक्त इजाजत के बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।
6. आदेश 23 नियम 1 - कोई परित्याग, प्रत्याहरण, करार, समझौता या तुष्टि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये बिना अभिलिखित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - आदेश 1 नियम 8 - एक ही वाद में एक ही हित वहा न्यायालय की अनुज्ञा या निदेश से प्रतिनिधि वाद।

234. सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जहाँ एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है :

- (a) कुसंयोजन का
- (b) असंयोजन का
- (c) उपरोक्त (a) तथा (b) दोनों
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

[UK PCS(J) 2019, UK PCS(J) 2018]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

परिभाषा

1. परिभाषित करें - (A) विधिक प्रतिनिधि

[UP PCS(J) 1988, RJS 1975, 1992, BJS 2011, HJS 2011, M.P. C] 2018]

उत्तर- विधिक प्रतिनिधि को CPC, 1908 की धारा 2(11) के तहत परिभाषित किया गया है। यह वह व्यक्ति है जो विधि के अनुसार किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है और जहां कोई पक्ष वाद करता है या वाद करता है। एक प्रतिनिधि चरित्र में वह व्यक्ति जिस पर वाद करने या वाद करने वाले पक्ष की मृत्यु पर संपत्ति हस्तांतरित होती है। निम्नलिखित को विधिक प्रतिनिधि माना जाता है- निष्पादक, प्रशासक, प्रत्यावर्तनकर्ता, हिंदू सहदायिक, अवशिष्ट वसीयतकर्ता, आदि। अतिक्रमणकर्ता, आधिकारिक समनुदेशक या प्राप्तकर्ता विधिक प्रतिनिधि नहीं है।

(B) अंतःकालीन लाभ

[RJS 1971, 1986, 1994, CGCJ 2003, DJS 2005, BJS 1975, 2014, 2006, HJS 2011, M.P. C] 2018]

उत्तर- CPC की धारा 2(12) अंतःकालीन लाभ को उन लाभों के रूप में परिभाषित करती है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा करने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुए हैं या सामान्य परिश्रम से प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ। इसमें सदोष कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण होने वाला लाभ शामिल नहीं होगा। अंतःकालीन लाभ का दावा केवल स्थावर संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है।

(C) डिक्री

[RJS 1976, 1986, M.P. C] 2004, BJS 2006, 2011, M.P. C] 2018]

Or

"डिक्री" से क्या अभिप्रेत है?

[RJS 2021]

उत्तर- CPC की धारा 2(2) डिक्री को एक अधिनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो वाद में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। यह प्रारंभिक या अंतिम या आंशिक-प्रारंभिक या आंशिक-अंतिम हो सकता है।

इस धारा के अंतर्गत दो मान्य डिक्री हैं - आदेश 7, नियम 11 के तहत वादपत्र की नामजूरी और धारा 144 के तहत किसी भी प्रश्न का निर्धारण। हालाँकि, डिक्री में कोई भी न्यायनिर्णयन शामिल नहीं होगा जिसमें किसी आदेश के विरुद्ध अपील के साथ-साथ व्यतिक्रम के लिए बर्खास्तगी के किसी भी आदेश के रूप में अपील की जा सकती है।

(D) आदेश

[M.P. C] 2018]

उत्तर - संहिता की धारा 2(14) के तहत आदेश को सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो डिक्री नहीं है। कोई आदेश किसी वाद या अपील, आवेदन या याचिका से उत्पन्न हो सकता है। प्रारंभिक आदेश नहीं हो सकता। प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं है और केवल आदेश 43 के साथ धारा 104 के तहत उल्लिखित आदेश ही अपील योग्य हैं। एक आदेश आवश्यक रूप से पक्षकारों के वास्तविक अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं करता है। यह आकस्मिक या प्रक्रियात्मक मामलों से संबंधित है।

3. प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के बीच अंतर बताएं और परिभाषित करें।

[UP PCS(J) 1992, 1987, BJS 1986]

उत्तर -

प्रारंभिक डिक्री	अंतिम डिक्री
किसी वाद में सभी मामलों का निर्णायक रूप से निर्णय नहीं करता बल्कि केवल कुछ मामलों का ही निपटारा करता है। यह प्रथम चरण की डिक्री है, जिसमें वाद को पूरी तरह से हल करने के लिए आगे की कार्यवाही की आवश्यकता होती है।	अंतिम डिक्री वह होती है जो सभी विवादों का निर्धारण करके और पक्षों को अंतिम राहत देकर वाद का पूर्ण और अंतिम निपटारा करती है।
उदाहरण: विभाजन के वादों में आदेश, साझेदारी का विघटन, या सम्पदा का प्रशासन।	उदाहरण, निपटारा के बाद अधिकारों का निष्पादन या प्रवर्तन।
अंतिम डिक्री का पालन किए बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता।	न्यायालय द्वारा निष्पादित एवं प्रवर्तित किया जा सकता है।

4. डिक्री और आदेश के बीच अंतर करें।

[M.P. C] 2009, UP PCS(J) 1991, BJS 1987]

उत्तर -

डिक्री	आदेश
संहिता की धारा 2(2) डिक्री को परिभाषित करती है क्योंकि डिक्री एक न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो किसी वाद में विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। इसे एक वाद में पारित	धारा 2(14) एक आदेश को एक सिविल न्यायालय के निर्णय की किसी भी औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो डिक्री की श्रेणी में नहीं आती है।

15 निम्नलिखित के अर्थ समझाइए :

- (i) अंतःकालीन लाभ (ii) अकिंचन व्यक्ति

[BJS 2021]

(i) अंतःकालीन लाभ

उत्तर - भारत में CPC की धारा 2(12) के तहत अंतःकालीन लाभ को उन लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसी संपत्ति के सदोष कब्जे वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुए हैं या सामान्य परिश्रम से प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ, लेकिन नहीं इसमें सदोष कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण होने वाला मुनाफा शामिल है।

न्यायालय विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर अंतःकालीन लाभ की मात्रा निर्धारित करती है, जिसमें शामिल हैं:

1. न्यायालय उस लाभ का आकलन करती है जो सदोष कब्जे वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुआ या प्राप्त हो सकता था यदि उन्होंने उचित परिश्रम किया होता। गणना में सदोष स्वामी द्वारा किए गए किसी भी सुधार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
2. अंतःकालीन लाभ की गणना आम तौर पर सदोष कब्जे की अवधि के दौरान संपत्ति के बाजार किराये के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसमें किराए की उचित बाजार दर या संपत्ति से वास्तविक कमाई का निर्धारण शामिल है।
3. न्यूनतम लाभ पर ब्याज दिया जा सकता है। न्यायालय आमतौर पर सदोष कब्जे की तारीख से लेकर सही मालिक को कब्जा वापस मिलने तक उचित ब्याज दर निर्धारित करती हैं।
4. न्यायालय उस सटीक अवधि पर विचार करेगी जिसके दौरान असली मालिक को कब्जे से वंचित किया गया था।
5. सदोष मालिक का सद्भावना का दावा या संपत्ति में किए गए किसी भी सुधार से उन्हें अर्जित लाभ को बनाए रखने का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे सुधारों के कारण होने वाले लाभ को बाहर रखा जाता है।
6. यदि संपत्ति आय अर्जित करने में सक्षम थी या लाभप्रद रूप से उपयोग की जा रही थी, तो उस संभावित आय को गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

सरूप सिंह गुप्ता बनाम एस. जगदीश सिंह और अन्य (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतःकालीन लाभ वह लाभ या लाभ है जो किसी व्यक्ति ने सदोष कब्जे के दौरान प्राप्त किया है, और यह बाजार किराये के मूल्य पर आधारित होना चाहिए।

(ii) अकिंचन व्यक्ति

उत्तर - CPC का आदेश XXXIII विशेष रूप से अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वादों से संबंधित है और न्यायालयी शुल्क का भुगतान किए बिना वाद दायर करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। आदेश XXXIII के नियम 1 के स्पष्टीकरण I के तहत, एक अकिंचन व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो:

- उस वाद को, जिसे वे दायर करना चाहते हैं, उसके लिए विधि द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।
- यदि व्यक्ति गरीबी के कारण शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें अकिंचन की श्रेणी में रखा जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसके नाम पर कोई संपत्ति न हो तो उसे भी अकिंचन माना जाएगा।

यह निर्धारित करने में कि कोई व्यक्ति अकिंचन के रूप में योग्य है या नहीं, न्यायालय कुछ संपत्तियों को विचार से बाहर कर देगा, जैसे:

- आवश्यक परिधान पहनना।
- कारीगरों के उपकरण।
- विद्वानों की पुस्तकें।
- दैनिक जीवन के लिए आवश्यक घरेलू प्रभाव।

Part I - JURISDICTION OF CIVIL COURTS

1. सिविल न्यायालय की अधिकारिता से क्या आशय है ?

[RJS 1992, 1999]

उत्तर - सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिविल विवादों को सुनने और निर्णय लेने और निर्णय पारित करने के लिए न्यायालय को दिए गए अधिकार या शक्ति को संदर्भित करता है। क्षेत्राधिकार विवाद की विषय वस्तु, क्षेत्रीय सीमा और इसमें शामिल आर्थिक मूल्य जैसे कारकों के आधार पर किसी मामले के विचारण के लिए किसी विशेष न्यायालय की क्षमता निर्धारित करता है।

CPC की धारा 9 सामान्य सिद्धांत स्थापित करती है कि सिविल न्यायालयों के पास सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन वादों को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से विधि द्वारा वर्जित हैं।

CPC के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रकार:

1. विषय वस्तु क्षेत्राधिकार (धारा 9): यह एक विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय के अधिकार को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, सिविल न्यायालय सिविल विवादों को संभालता है, जबकि उपभोक्ता न्यायालयों जैसे विशिष्ट न्यायाधिकरण उपभोक्ता विवादों को संभालते हैं।
2. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (धारा 16-20): यह उस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर एक न्यायालय को मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, मुंबई में स्थित संपत्ति पर विवाद की सुनवाई मुंबई की न्यायालयों में की जाएगी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

साक्षात्कार प्रश्न - हल

Sample Preview

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

1. सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किन न्यायालयों के लिए हैं ?

Ans. इस संहिता के प्रावधानों को नागरिक क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए बनाया और लागू किया गया है।

2. इस संहिता से पहले कौन सी संहिता लागू थी?

Ans. इस संहिता से पहले, नागरिक संहिता 1859 लागू थी, जिसे 1877 और 1882 में संशोधित किया गया था।

3. कब सी.पी.सी. लागू किया गया था?

Ans. भारत में यह संहिता 1 जनवरी, 1909 से लागू है।

4. C.P.C में दो संशोधन किए गए। संशोधन अधिनियम का नाम बताएं?

Ans. (1) नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999।
(2) नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002।

5. पर्याप्त कानून किसे कहते हैं ?

Ans. मूल कानून वह है जो अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है और मानव व्यवहार और उनके संबंधों को परिभाषित करता है।

6. प्रक्रियात्मक कानून क्या है?

Ans. प्रक्रियात्मक कानून वह कानून है जो मूल कानून द्वारा कुछ अधिकारों और दायित्वों से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए न्यायालय के उपयोग की प्रक्रिया तय करता है।

7. प्लीडर कौन होता है ?

Ans. किसी अन्य व्यक्ति (सिविल मामलों में) के लिए उपस्थित होने और पैरवी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को प्लीडर कहा जाता है।

8. वकील और अधिवक्ता में क्या अंतर है?

Ans. एक व्यक्ति जिसके पास एलएल.बी. डिग्री, उसे एक वकील कहा जाता है जबकि वकील ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास कर ली है और फिर स्टेट बार काउंसिल में नामांकित हो गया है, उसे एक अधिवक्ता कहा जाता है। वह अपने मुक्किल का प्रतिनिधित्व करता है।

9. क्या राजस्व न्यायालय को CPC में कहीं परिभाषित किया गया है?

Ans. हाँ सर, धारा 5 (2) के अनुसार, एक अदालत जिसके पास कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का लाभ है।

10. क्या CPC के प्रावधान राजस्व न्यायालयों पर लागू होंगे

Ans. जी सर, जब उस विषय पर राजस्व कानून मौन है।

11. अधिकार क्षेत्र क्या है?

Ans. यह वह अधिकार है जिसके द्वारा न्यायालय को किसी भी वाद, अपील या आवेदन को स्वीकार करने और सुनवाई के बाद निर्णय देने का अधिकार है।

12. मूल/प्राथमिक क्षेत्राधिकार क्या है?

Ans. प्राथमिक क्षेत्राधिकार किसी भी मुकदमे, आवेदन या अन्य कानूनी कार्यवाही को पहले स्वीकार करने और तय करने की शक्ति देता है।

13. अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है?

Ans. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील या आपत्ति को स्वीकार करने और निर्णय लेने की शक्ति को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है।

14. क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर रिस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होगा?

Ans. नहीं सर।

15. क्या पूर्व न्याय सह-वादी और सह-प्रतिवादी पर लागू होगा?

Ans. सर, यह तब लागू होगा जब हित परस्पर विरोधी हों और ऐसे हित पर निर्णय देना आवश्यक हो।

16. औपचारिक प्रतिवादी कौन है?

Ans. एक औपचारिक प्रतिवादी वह है, जिसे अदालत मुकदमे में संकलित करती है ताकि एक प्रश्न का प्रभावी ढंग से निपटारा किया जा सके।

17. क्या मध्यवर्ती आदेशों को संशोधित किया जा सकता है?

Ans. नहीं सर

18. अनुपूरक कार्यवाही क्या है ?

Ans. मुकदमा कायम होने के बाद न्याय के लिए जो कार्यवाई की जानी चाहिए।

19. अनुपूरक कार्यवाही के कुछ उदाहरण दीजिए

Ans. (i) फैसले से पहले गिरफ्तारी और कुर्की (आदेश 38)
(ii) अस्थायी निषेधाज्ञा (आदेश 39)
(iii) प्राप्तकर्ता की नियुक्ति (आदेश 40)
(iv) वादकालीन आदेश (आदेश 39)

20. न्यायालय को निहित शक्ति क्यों दी जाती है?

Ans. नागरिक मुकदमेबाजी के दौरान उत्पन्न होने वाली ऐसी समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए या यदि कोई पक्ष प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और उसके लिए संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

21. धारा 148 (ए) (कैविएट) का उद्देश्य क्या है?

Ans. एक पक्षीय आदेश पारित करने पर रोक।

22. आयोग क्या है?

Ans. न्यायालय द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति जिसे पार्टियों द्वारा बाद में किसी भी समय परीक्षा आयोजित करने या किसी स्थानीय निरीक्षण आदि के लिए नियुक्त किया जाता है।

23. उचित पक्ष किसे कहा जाता है ?

Ans. एक उचित पक्ष वह है जिसकी मामले में उपस्थिति को अदालत द्वारा प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय लेने और सूट में शामिल सभी प्रश्नों को निपटाने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

24. CPC की कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान करती है?

Ans. सर, धारा 89.

25. CPC की धारा 80 के तहत नोटिस का क्या मतलब है?

Ans. जब भी सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना है, तो मुकदमा दायर करने से दो महीने पहले नोटिस देना जरूरी है।

26. नोटिस क्यों दिया जाता है ?

Ans. सर, ताकि सरकार या लोक प्राधिकरण को मामले को अदालत के बाहर सुलझाए जाने का अवसर मिल सके।

27. शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं ?

Ans. शपथपत्र स्वयं शपथ लेने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया एक लिखित कथन होता है, जो इस कार्य के लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ईश्वर पर विश्वास करके और उसका साक्षी होकर दिया जाता है। (आदेश 19 नियम 3)।

29. क्या अपील में नए आधार लिए जा सकते हैं ?

Linking Paperathon Booklets



Unique Features of Paperathon Booklet

- ◆ Subject-wise presentation with weightage analysis table
- ◆ Covered Last Previous Years Papers
- ◆ Linked Provision
- ◆ Diglot Q&A (English + Hindi)
- ◆ Explanation (English + Hindi)
- ◆ QR Code for Paper Solution Free Videos
- ◆ QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams



Linking Charts



Scan this QR Code
Place Order

Linking Bare Acts



Tansukh Paliwal

Sample Preview

भारतीय न्याय संहिता, 2023

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, "वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें". This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"Paperathon." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- Tansukh Paliwal

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range - Chapter wise	4
2.	Section Switching Table [IPC - -> BNS]	5-6
3.	Prelims MCQs	7-61
4.	Mains Questions	62-160
5.	Interview Questions	161-167
6.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	168

भारतीय न्याय संहिता, 2023		
CH.	BNS Range Chapter wise	Sections
I	प्रारंभिक	1-3
II	दण्डों के विषय में	4-13
III	साधारण अपवाद	14-44
IV	दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में	45-62
V	स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में	63-99
VI	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों विषय में	100-146
VII	राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में	147-158
VIII	सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में	159-168
IX	निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में	169-177
X	सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में	178-188
XI	लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	189-197
XII	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में	198-205
XIII	लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में	206-226
XIV	मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में	227-269
XV	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में	270-297
XVI	धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में	298-302
XVII	सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	303-334
XVIII	दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में	335-350
XIX	आपराधिक अभिप्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में	351-357
XX	निरसन और व्यावृत्ति ।	358

BNS PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - I : प्रारंभिक (1-3)

अध्याय - I : प्रारंभिक (1-3)

1. भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया?

- (a) 1860 (b) 1861
(c) 1862 (d) 1863

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान: - धारा 1 IPC. (1 BNS)

स्पष्टीकरण: IPC 6 अक्टूबर, 1860 को अंगीकृत किया गया था, तथा पंद्रह महीने बाद 1 जनवरी, 1862 को लागू हुआ।

2. जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आशय से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे किस तरह की गयी बात कही जाएगी?

- (a) कपटपूर्वक
(b) बेईमानी से
(c) गलत तरीके से
(d) रिष्टि से

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:- L/w sec.24 (2(7) BNS), 209 (246 BNS), 246-247 (deleted), 369 (97 BNS), 378 (303(1) BNS), 383 (308(1) BNS), 403-405 (314-316 BNS), 411-412 (317 (2)-(3) BNS), 420-424 (318-323 BNS), 439 (328 BNS), 461-462 (334 BNS), 464 (335 BNS), 471, 474 (339 BNS), 477 (343 BNS), 496 IPC (83 BNS).

3. अपराधिक मनःस्थिति का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ मेंसरिया) अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है?

- (a) धोखाधड़ी से संबंधित
(b) शारीरिक चोट से संबंधित
(c) राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित
(d) सख्त देयता (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी)

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान:- Sec.34 IPC. (3(5) BNS)

स्पष्टीकरण: मेन्स री का मतलब गलत इरादा है। उक्ति का अर्थ है कि कोई कार्य स्वयं को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि मन भी दोषी न हो। सख्त दायित्व वाले अपराध, जिन्हें लोक कल्याणकारी अपराध के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे अपराध हैं जिनके लिए मेन्स री की आवश्यकता नहीं होती है।

4. निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है?

- (a) जम्मू-कश्मीर राज्य
(b) भारत में अपराध करने वाला एक विदेशी नागरिक
(c) जापान के अधिकार-क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए भारतीय विमान में किया गया अपराध
(d) भारत की जलीय क्षेत्र पर एक विदेशी द्वारा किया जाने वाला अपराध

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान: - Sec.1 IPC.(1 BNS)

स्पष्टीकरण:- भारतीय दंड संहिता जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 (2019 का 34) (31-10-2019 से प्रभावी) के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू हुई है। पहले यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू था।

5. "लोक सेवक" शब्द के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, निम्न में से किस में आता है?

- (a) सेना का आयुक्त आफिसर
(b) हर न्यायाधीश, जो न्याय निर्णायक कृत्यों के निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा शक्त किया गया हो

- (c) न्यायालय का हर आफिसर
(d) उपरोक्त सभी

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 21 (2(28) BNS), L/w 14 (deleted), 19 (2(16) BNS), 20 IPC (2(5) BNS), 2(17) सिविल प्रक्रिया संहिता।

6. IPC की धारा 29क संबंधित है.....से

- (a) दस्तावेज
(b) मूल्यवान प्रतिभूति
(c) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान: sec.17, 22A, 34, 35, 39, 45A, 59, 65A, 65B, 67A, 81A, 85A, 88A, 90A, 131 IEA।

स्पष्टीकरण: Sec.29A को 2000 में 17-10-2000 से डाला गया।

दस्तावेज़- धारा 29 (2(8) BNS)

मूल्यवान सुरक्षा- धारा 30 (2(31) BNS)

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड- sec.29A (2(39) BNS)

7. अपराध के कौन-से 2 आवश्यक तत्व हैं?

- (a) हेतुक एवं कृत्य
(b) हेतुक एवं दोष सिद्धी
(c) हेतुक एवं क्षति
(d) तैयारी एवं दण्ड

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान: IPC की धारा 40, (2(24) BNS), 2(एन) दंड प्रक्रिया संहिता (2 BNSS)

स्पष्टीकरण: आम तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी अपराध के आवश्यक तत्व हैं

- (1) एक स्वैच्छिक कार्य या चूक (actus reus), साथ में
(2) मन की एक निश्चित स्थिति (मनुष्य)।

8. 'न्यायालय' शब्द आई.पी.सी. की किस धारा के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है?

- (A) धारा 19
(B) धारा 20
(C) धारा 30
(D) धारा 25

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान: Sec.20 (2(5) BNS), L/w sec.19 IPC. (2(16) BNS)

स्पष्टीकरण- धारा 20 "न्यायालय" शब्द को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, "न्यायालय" शब्द एक न्यायाधीश को दर्शाता है जो कानून द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत है, या न्यायाधीशों का एक निकाय जो कानून द्वारा न्यायिक रूप से एक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है, जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है।

लिंकिंग प्रावधान- धारा 20 L/w धारा 19 IPC.

स्पष्टीकरण- धारा 20 "न्यायालय" शब्द को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, "न्यायालय" शब्द एक न्यायाधीश को दर्शाता है जो विधिद्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत है, या न्यायाधीशों का एक निकाय जो विधि द्वारा न्यायिक रूप से एक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है, जब ऐसे न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है।

9. भारतीय दण्ड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किये गये हैं-

- (a) नर हेतु
(b) नारी हेतु

BNS PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - II : दण्डों के विषय में (4-13)

1. धारा 5(धारा 1(6) BNS)- भारतीय दंड संहिता, किसी प्रकार की विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी।
2. धारा 40(धारा 2(24) BNS)- अपराध (धारा 40 के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत विशेष या स्थानीय विधि के अपराध भी)।
3. धारा 42(धारा 2(18) BNS)- स्थानीय विधि - जो किसी विशिष्ट भाग को लागू हो।

स्पष्टीकरण - धारा 41(धारा 2(30) BNS)- "विशेष विधि" के अंतर्गत वह विधि जो विशिष्ट विषय पर लागू हो, जैसे - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, किशोर न्याय(बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

32. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बैंक पर दिया गया चैक क्या है ?

- (a) अभिलेख
- (b) कूटकरण
- (c) मूल्यवान प्रतिभूति
- (d) इनमें से कोई नहीं

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 29A(धारा 2(38) BNS)- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख।
2. धारा 30(धारा 2(31) BNS)- मूल्यवान प्रतिभूति।
3. धारा 3(धारा 2 BSA)- दस्तावेज। (साक्ष्य अधिनियम, 1872)।
4. धारा 61(धारा 56 BSA)- दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा (साक्ष्य अधिनियम, 1872)।

5. धारा 464(धारा 335 BNS)- मिथ्या दस्तावेज रचना।

स्पष्टीकरण - धारा 29 के दृष्टांत पर आधारित।

धारा 29(धारा 2(8) BNS)- दस्तावेज - शब्द किसी भी विषय का धोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

33. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 22 (Sec 2(21) BNS) में उपबंध है :

- (a) सदोष अभिलाभ का
- (b) सदोष हानि का
- (c) बेईमानी का
- (d) जंगम सम्पत्ति का

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 3 - स्थावर संपत्ति (सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882)।
2. धारा 2(6)/2(9)- स्थावर संपत्ति व जंगम संपत्ति (रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1908)।
3. धारा 2(13) - जंगम संपत्ति (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)।
4. जंगम संपत्ति संबंधी अपराध -
 - १) धारा 378(धारा 303(1) BNS)- चोरी।
 - २) धारा 403(धारा 314 BNS)- आपराधिक दुर्विनियोग।
 - ३) धारा 481(धारा 345(2) BNS)- मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग।

स्पष्टीकरण - धारा 22(धारा 2(21) BNS)- जंगम संपत्ति - इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजे हो या भुबद्ध हो या भुबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकड़ी हुई हो, इसे अंतर्गत नहीं आती है।

34. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ?

- (a) न्यायाधीश : धारा 18
- (b) न्यायालय : धारा 22
- (c) बेईमानी से : धारा 24
- (d) दस्तावेज : धारा 28

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 379(धारा 303(2) BNS) - चोरी
2. धारा 383(धारा 308(1) BNS) - उद्घापन
3. धारा 403(धारा 314 BNS) - संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
4. धारा 405(धारा 316(1) BNS) - आपराधिक न्यास भंग।

स्पष्टीकरण:- शब्द "बेईमानी" को IPC की धारा 24 के तहत परिभाषित किया गया है। शब्द "न्यायाधीश" धारा 19 के तहत दिया गया है, शब्द "न्यायालय" शब्द धारा 20 के तहत दिया गया है, और शब्द "दस्तावेज" IPC की धारा 29 के तहत दिया गया है। अतः विकल्प C सही सुमेलित है।

35. 'लिंग' शब्द को भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में स्पष्ट किया गया है ?

- (a) धारा 7 (धारा 3(2) BNS)
- (b) धारा 8 (धारा 2(10) BNS)
- (c) धारा 9 (धारा 2(22) BNS)
- (d) धारा 10 (धारा 2(19), 2(35) BNS)

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 10(धारा BNS) - पुरुष और स्त्री
2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:-
 - (i) धारा 354A (धारा 75 BNS)- लैंगिक उत्पीड़न
 - (ii) धारा 354B(धारा 76 BNS) - महिला को विवस्त्र करने के आशय से बल प्रयोग करना।
 - (iii) धारा 354C(धारा 77 BNS) - दृश्यकारिता
 - (iv) धारा 354D (धारा 78 BNS)- पीछा करना
 - (v) धारा 375/376 (धारा 63/64 BNS)- बलात्संग
 - (vi) धारा 509 (धारा 79 BNS)- किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित शब्द, अंग विक्षेप या कार्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 8 - पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ उपयोग किए जाते हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला।

अध्याय - II : दण्डों के विषय में (4-13)

36. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड का लघुकरण किसी अन्य दण्ड के लिए कौन कर सकता है ?

- (a) विधि मंत्री
- (b) भारत के राष्ट्रपति
- (c) राज्यों के राज्यपाल
- (d) समुचित सरकार

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।
 2. अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
 3. धारा 433 (Sec 474 BNSS)- सजा कम करने की शक्ति। CrPC
 4. धारा 434 (Sec 476 BNSS) - केंद्र सरकार की शक्ति। CrPC
 5. धारा 55 (Sec 5 BNS)- आजीवन कारावास की सजा का लघुकरण।
- स्पष्टीकरण:-** धारा 54 (Sec 5 BNS)- मौत की सजा के मामले में उपयुक्त सरकार, अपराधी की सहमति के बिना, किसी अन्य सजा के लिए सजा का लघुकरण कर सकती है।

37. भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है?

- (a) 20 वर्ष
- (b) 14 वर्ष
- (c) 16 वर्ष
- (d) 12 वर्ष

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 57 (6 BNS), L/w 511 IPC. (62 BNS)

BNS PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - III : साधारण अपवाद (14-33)

44. यदि अभियुक्त किसी मामले में एक वर्ष से अधिक समय की सजा से दण्डित किया गया है, तो एकान्तवास की सजा अधिक नहीं होगी।
(a) एक मास से
(b) दो मास में
(c) तीन मास में
(d) कोई सीमा नहीं है

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 73 (धारा 11 BNS) - एकांत परिरोध।
 2. धारा 74 (धारा 12 BNS) - एकांत परिरोध की अवधि।
- स्पष्टीकरण:- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 73 कैदी को अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए एकान्त कारावास में रखने की शक्ति देती है।

45. "समुचित सरकार" एक अभियुक्त की मृत्यु दण्ड की सजा को किसी अन्य सजा (दण्ड) में लघुकरण कर सकती है
(a) अभियुक्त की सहमति से
(b) अभियुक्त के रिश्तेदारों की सहमति से
(c) अभियुक्त के अधिवक्ता की सहमति से
(d) बिना अभियुक्त की सहमति से

Ans. [D]

किंग प्रावधान :-

1. अनुच्छेद 72 - राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
2. अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति।
3. धारा 54/55 (धारा 5 BNS)- समुचित सरकार दंडादेश के लघुकरण की शक्ति।
4. धारा 55A (Exp of धारा 5 BNS)- समुचित सरकार।
5. धारा 432/433 (धारा 473-474 BNSS)- सरकार द्वारा की दंड को परिहार व लघुकरण (CrPC, 1973)।
6. धारा 306 (धारा 343 BNSS)- न्यायलय द्वारा सहअपराधी को क्षमादान (CrPC, 1973)।

स्पष्टीकरण - धारा 54 (धारा 5 BNS)- हर मामले में, जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो, अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार उस दंड को किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी।

46. जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गयी है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है
(a) असीमित
(b) ₹50,000 से अधिक नहीं।
(c) ₹10,00,000 से अधिक नहीं।
(d) असीमित परन्तु अत्यधिक नहीं।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 63(धारा 8(1) BNS) L/w 64(धारा 8(2) BNS), 66(धारा 8(4) BNS), 70(धारा 8(7) BNS) IPC.

स्पष्टीकरण- धारा 63 (धारा 8(1) BNS) प्रदान करता है कि जहाँ कोई राशि व्यक्त नहीं की जाती है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ जुर्माना की राशि जिसके लिए अपराधी उत्तरदायी है, असीमित है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगी।

47. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत 'एकान्त परिरोध' की अधिकतम अवधि उपबन्धित है:
(a) माह (b) माह
(c) वर्ष (d) माह

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. प्रायश्चित का सिद्धांत
2. धारा 74 (धारा 12 BNS)- एकान्त कारावास की सीमा

स्पष्टीकरण:- IPC की धारा 73 (धारा 11 BNS) एकान्त कारावास के प्रावधान प्रदान करती है जो एक अभियुक्त को पूरे 3 महीने से अधिक नहीं दी जा सकती है।

48. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 एवं 74 के अनुसार किसी दोषसिद्ध को दिये गये दण्ड के किसी भाग अथवा भागों की अवधि के लिए एकान्त परिरोध में रखा जा सकता है। निम्न में से कौनसा सही नहीं है?
(a) कुल मिलाकर तीन माह की अवधि से अधिक न हो
(b) यदि सजा की अवधि छः माह से अधिक और एक वर्ष से अधिक नहीं है तो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं
(c) यदि सजा की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं
(d) किसी भी अवस्था में एकान्त परिरोध की अवधि एक बार में 14 दिवस से अधिक नहीं होगी

Ans. [b]

स्पष्टीकरण - धारा - 73/74 - निम्न समय के लिए एकांत परिरोध:-

1. कारावास छः माह तक वहाँ एकांत परिरोध 1 माह
 2. कारावास एक वर्ष तक वहाँ एकांत परिरोध दो माह
 3. कारावास एक वर्ष से अधिक वहाँ एकांत परिरोध 3 माह
- एकांत परिरोध- केवल उन्हीं मामलों में जिसमें दोषसिद्धि हो गयी और न्यायालय को कठिन कारावास का दण्ड देने की शक्ति।

नोट:- अंवेष्टन के दौरान धारा 73 व 74 को लागू नहीं किया जा सकता।

अधिकतम एकांत परिरोध:- तीन माह

मामला:-

1. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980
2. चार्ल्स शोभराज बनाम जेल अधीक्षक, 1978

अध्याय - III : साधारण अपवाद (14-33)

49. निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उनको प्रासंगिक धाराओं के बढ़ते क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए

- I. राजद्रोह
 - II. गृह-अतिचार
 - III. सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना
 - IV. लोक उत्पात (लोक न्यूसंस)
- नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए

Code -

- (a) III, I, IV, II (c) I, III, II, IV
(b) III, IV, I, II (d) IV, II, I, III

Ans [a]

स्पष्टीकरण-

- धारा 93 (धारा 31 BNS) सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना से संबंधित है।
- धारा 124 क राजद्रोह से संबंधित है।
- धारा 268 (धारा 270 BNS) लोक उत्पात से संबंधित है।
- धारा 442 (धारा 329 BNS) गृह-अतिचार से संबंधित है।

50. 'A' एक तैराकी का राष्ट्रीय चैम्पियन है, वह एक बच्चे को तालाब में डूबते देखता है, वह उसको डूबने से बचा सकता था परन्तु नहीं बचाता, बच्चा डूब जाता है। क्या 'A' दोषी है -

- (a) हत्या का
(b) आत्महत्या के दुष्प्रेरण का
(c) हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का
(d) कोई अपराध नहीं

Ans [d]

स्पष्टीकरण- दिए गए मामले में, A ने कोई अपराध नहीं किया है। भले ही, वह तैराकी का राष्ट्रीय चैंपियन था, लेकिन वह IPC के किसी भी अपराध के

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC, 1860)

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

BNS MAINS PAPERATHON

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (IPC, 1860)

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (IPC, 1860)

Chapter I

Nature, Definition, Meaning and Elements of Crime

1. आपराधिक मनःस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। [UP PCS(J) 1982, PJS 1995(II), M.P. CJ 2014]

Or

प्रत्येक अपराध में आपराधिक मनःस्थिति एक आवश्यक तत्व है। इस नियम को स्पष्ट कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि यह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत अपराध पर किस सीमा तक लागू होता है।

[JHARKHAND PCS(J) 2014]

Or

आपराधिक मनःस्थिति के सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए। सख्त दायित्व से संबंधित अपराधों के मामले में यह किस प्रकार सम्मिश्रित होती है।

[HJS 1988]

Or

आपराधिक मनःस्थिति से आप क्या समझते हैं? भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत आपराधिक मनःस्थिति का क्या महत्व है। विवेचन कीजिए।

[UP PCS(J) 2016]

Ans.- आपराधिक मनःस्थिति अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या दोषी मन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य अपराध करते समय गलत काम करने के आशय या ज्ञान से है। आपराधिक मनःस्थिति आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आकस्मिक कार्यों और आपराधिक आशय से किए गए कार्यों के बीच अंतर करता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में, आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता "बेईमानी से" (धारा 24) (2(7) BNS), "कपटपूर्वक" (धारा 25) (2(9) BNS), और "स्वेच्छा से" (धारा 39)(2(33) BNS) जैसे शब्दों में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, चोरी (धारा 378) (303(1) BNS) जैसे अपराधों में, व्यक्ति के पास संपत्ति लेने का बेईमान आशय होना चाहिए। आपराधिक मनःस्थिति के बिना, कुछ कार्यों को अपराध नहीं माना जा सकता है। हालांकि, BNS के तहत सख्त दायित्व वाले अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है।

2. आपराधिक मनःस्थिति क्या है? सूक्ति "एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री" को स्पष्ट कीजिए। अपराध का निर्धारण करने के लिए हेतु कितना आवश्यक है? क्या आपराधिक मनःस्थिति के सिद्धांत के कोई अपवाद हैं? अपने उत्तर का उदाहरण दीजिए।

[HJS 1996, UP PCS(J) 2012]

Ans.- आपराधिक मनःस्थिति का तात्पर्य अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या दोषी मन से है। इसका तात्पर्य अपराध करते समय गलत काम करने के आशय या ज्ञान से है। आपराधिक मनःस्थिति आपराधिक विधि में एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आकस्मिक कार्यों और आपराधिक आशय से किए गए कार्यों के बीच अंतर करता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) में, आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता "बेईमानी से" (धारा 24) (2(7) BNS), "कपटपूर्वक" (धारा 25) (2(9) BNS), और "स्वेच्छा से" (धारा 39) (2(33) BNS) जैसे शब्दों में पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, चोरी (धारा 378) (303(1) BNS) जैसे अपराधों में, व्यक्ति के पास संपत्ति लेने का बेईमान आशय होना चाहिए। लैटिन कहावत "एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट रीया" का अनुवाद "कोई कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके पास दोषी मन न हो।" इसका मतलब है कि, अपराध का गठन करने के लिए, एक गलत कार्य (वास्तविक कार्य) और एक दोषी मन (आपराधिक मनःस्थिति) दोनों मौजूद होना चाहिए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जाता है जब वह अपराध करने का आशय रखता है या उसे अपने गलत कार्यों का ज्ञान होता है। हेतु वह अंतर्निहित कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन यह आपराधिक मनःस्थिति से अलग है। जबकि आपराधिक मनःस्थिति अपराध के दौरान आशय या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, हेतु बताता है कि अपराध क्यों किया गया था। आपराधिक दायित्व साबित करने के लिए आम तौर पर हेतु आवश्यक नहीं होता है, हालांकि यह सजा की गंभीरता को निर्धारित करने या न्यायाधीश के विवेक को प्रभावित करने में मदद कर सकता है।

आपराधिक मनःस्थिति के अपवाद: भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कुछ अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ये अक्सर सख्त दायित्व वाले अपराध होते हैं, जहाँ केवल कृत्य करने से ही व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है, चाहे उसका आशय कुछ भी हो। उदाहरणों में शामिल हैं:

- लोक उपद्रव (IPC की धारा 268) (270 BNS): आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।
- लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण (IPC की धारा 166क) (199 BNS): इसमें लोक कर्तव्य के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए सख्त दायित्व शामिल है।
- लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अपराधों जैसे विनियामक अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। इन मामलों में, इसके पीछे के आशय के बजाय कार्य पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।

BNS MAINS PAPERATHON

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (IPC, 1860)

Chapter II General Exceptions

1. तथ्य की भूल एवं विधि की भूल के मध्य अंतर की विवेचना कीजिए।

[DJS 2008]

Ans.- भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत तथ्य की भूल और विधि की भूल के बीच का अंतर आपराधिक दायित्व निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है।

तथ्य की भूल:

- किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित किसी तथ्य के बारे में गलतफहमी है।
- IPC की धारा 76 (14 BNS) और धारा 79 (17 BNS) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण इस विश्वास के तहत कार्य करता है कि वह न्यायोचित है या विधि द्वारा बाध्य है, तो वह प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति मानता है कि कोई निश्चित संपत्ति उसकी है और उस विश्वास के तहत, उस पर कब्जा कर लेता है, तो वह तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- यदि साबित हो जाता है, तो तथ्य की भूल आपराधिक मामलों में एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में काम कर सकती है।

विधि की भूल:

- किसी व्यक्ति को विधिक प्रावधानों या विधि के अस्तित्व के बारे में गलतफहमी है।
- यहाँ "विधि की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है" का सिद्धांत लागू होता है, जैसा कि कहावत इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट के अनुसार है।
- यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसे पता नहीं था कि कोई कार्य अवैध है, तो वह इस भूल का हवाला देकर उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता।
- विधि की भूल प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है, और व्यक्ति को अभी भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

2. दण्डिक विधि में प्रतिरक्षा के रूप में तथ्य की भूल की विवेचना कीजिए एवं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

[DJS 2014]

Ans.- तथ्य की भूल:

- किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित तथ्य के बारे में गलत जानकारी है।
- IPC की धारा 76 (14 BNS) और धारा 79 (17 BNS) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण यह विश्वास करके कार्य करता है कि वह न्यायोचित है या विधि से बंधा हुआ है, तो वह प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति मानता है कि कोई निश्चित संपत्ति उसकी है और उस विश्वास के तहत, उस पर कब्जा कर लेता है, तो वह तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।
- तथ्य की भूल, यदि सिद्ध हो जाती है, तो आपराधिक मामलों में एक वैध प्रतिरक्षा के रूप में काम कर सकती है।
उदाहरण: A, एक सैनिक, को उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। A, आदेश को वैध मानता है और यह मानता है कि भीड़ हिंसक रूप से कार्य कर रही है, भीड़ में एक व्यक्ति को गोली मारकर मार देता है। इस मामले में, A, IPC की धारा 76 (14 BNS) के तहत तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था और भीड़ के व्यवहार के बारे में तथ्यात्मक स्थिति के बारे में गलत था। इस प्रकार, A को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

3. निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए

(a) आपराधिक कार्य के लिए बालक का दायित्व

[HJS 1984]

Or

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

अव्यस्क का आपराधिक दायित्व

[HJS 1986]

Or

सात साल से कम उम्र के बच्चों और सात से ऊपर और बारह साल से कम उम्र के बच्चों को IPC के तहत क्या आपराधिक प्रतिरक्षा प्रदान की गई है?

[HPJS 2016]

Or

अव्यस्क के मामले में आपराधिक दायित्व से छूट की विधि पर चर्चा करें।

[DJS 1996, HJS 1998]

Ans.- IPC के तहत, आपराधिक कृत्य के लिए बच्चे की जिम्मेदारी धारा 82 (20 BNS) और धारा 83 (21 BNS) द्वारा नियंत्रित होती है:

- **धारा 82 (20 BNS) :** सात वर्ष से कम आयु के बच्चे पर कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उन्हें "डोली इनकैपैक्स" (आपराधिक आशय बनाने में असमर्थ) माना जाता है। इस प्रकार, इस आयु से कम आयु के बच्चे को आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह छूट दी जाती है।

Ans.- भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत, उकसाना तीन कृत्यों में से एक है जो दुष्प्रेरण का गठन करता है, जैसा कि धारा 107(45 BNS) में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है किसी को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना या डराना। उकसावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। उपर्युक्त मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की धारा 111(51 BNS) के अंतर्गत आता है, जो उकसावे के बाद एक अलग कार्य किए जाने पर उकसाने वाले की देयता को शामिल करता है। उकसाने वाला उसी तरह और उसी सीमा तक किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी है जैसे कि उसने सीधे तौर पर उकसाया हो। हालाँकि, कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:

- किया गया कार्य उकसावे का संभावित परिणाम था
- यह कार्य उकसावे के प्रभाव में किया गया था
- यह कार्य षडयंत्र की सहायता से या उसके अनुसरण में किया गया था जिसने उकसावे का गठन किया

इस मामले में, A, B को C के घर को जलाने के लिए उकसाता है। B घर में आग लगाता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। यहां A और B केवल घर को जलाने के अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे और B अकेले चोरी के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि उपरोक्त कृत्य में घर को जलाने का संभावित परिणाम चोरी नहीं है।

₹ Linking Bare Act®

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Available Bare Acts

1. BNS 2023
2. BNSS 2023
3. BSA 2023
4. CPC 1908
5. Local Laws
6. Family Laws
7. Constitution
8. Civil Minor Laws
9. Criminal Minor Laws
10. Criminal Manual Major Laws
(BNS, BNSS, BSA)



Linking Support

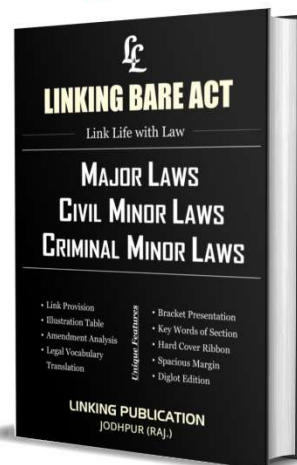
988 774 6465 (Classes)

773 774 6465 (Publication)



QR for Buy or visit

www.LinkingLaws.com



E-Study Material for Judiciary and Law Exams

is available at **Linking App.**   

**भारतीय न्याय संहिता, 2023
(IPC, 1860)**

साक्षात्कार प्रश्न - हल

Sample Preview

BNS INTERVIEW QUESTIONS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (IPC, 1860)

1. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं?

Ans. सर, 511 धाराएं हैं। (358 BNS)

2. धारा 511 किस अपराध से संबंधित है ?

Ans. धारा 511 आपराधिक प्रयास से संबंधित है, जिसका उल्लेख संहिता में नहीं है।

3. भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई?

Ans. सर, 1 जनवरी, 1862 को। (1 JULY 2024 BNS)

4. अपराध के कितने चरण हैं?

Ans. सर, चार - आशय, तैयारी, प्रयास और अपराध का समापन।

5. क्या आशय दंडनीय है?

Ans. आशय आम तौर पर दंडनीय नहीं होता है, केवल कुछ परिस्थितियों में दंडनीय होता है। डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठा होना (धारा 402), (310 BNS) आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120-ए)) (61 BNS)।

6. तैयारी और प्रयास में क्या अंतर है?

Ans. कुछ अपराधों को छोड़कर तैयारी दंडनीय नहीं है जबकि अपराध करने का प्रयास हमेशा दंडनीय होता है।

7. अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं?

Ans. सर,

1. मानव या व्यक्ति,
2. कार्य या चूक,
3. आपराधिक मन: स्थिति
4. नुकसान।

8. आपराधिक मन: स्थिति भारतीय दंड संहिता में लागू है?

Ans. सर, नकारात्मक ढंग से और सकारात्मक ढंग से दोनों लागू होते हैं। एक सामान्य अपवाद के रूप में, मन: स्थिति की अनुपस्थिति मान ली जाती है। अपराध की परिभाषा के तहत लागू नहीं किया गया। यह अपराध के एक तत्व के रूप में लागू नहीं किया गया था।

9. आपराधिक मन: स्थिति का क्या अर्थ है?

Ans. आपराधिक मन: स्थिति का अर्थ है ऐसा कार्य जो दोषी मन से किया गया हो। आपराधिक कृत्य आपराधिक मन: स्थिति के बराबर है।

10. 'एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेन्स सिट री' का क्या अर्थ है?

Ans. निर्दोष मन से किया गया कार्य, अपराध नहीं है।

11. बेईमानी की परिभाषा दीजिए।

Ans. जो कोई एक व्यक्ति को सदोष लाभ या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से कोई कार्य करता है, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, कहा जाता है। (धारा 24) [2(7) BNS]]

12. एक सामान्य आशय और समान या समान आशय के बीच क्या अंतर है?

Ans. सामान्य आशय में पूर्व सहमति आवश्यक है जबकि समान आशय की आवश्यकता नहीं है।

13. 'मन की पूर्व सहमति' का क्या अर्थ है?

Ans. अपराध में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के आशय से अवगत है।

14. मन का मिलन क्या है?

Ans. मन के मिलन का अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिभागी एक दूसरे के मन को जानता है और उससे सहमत होता है।

15. 'सद्भावपूर्वक' को परिभाषित कीजिए।

Ans. कोई बात 'सद्भावपूर्वक' की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। (धारा 52) [2(11) BNS]

16. दंड कितने प्रकार के होते हैं?

Ans. सर, 5 प्रकार,

- (i) मृत्युदंड,
- (ii) आजीवन कारावास,
- (iii) कारावास (दो प्रकार- कठोर और साधारण)
- (iv) संपत्ति का समपहरण और
- (v) जुर्माना।

17. उन धाराओं के बारे में बताएं जिनके तहत मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है?

Ans. धारा 121, 132, 194, 195-ए, 302, 305, 307, 364-ए, 376-ए, 376-ई और धारा 396। [147, 160, 230, 232, 103, 107, 140, 66, 71, 310 BNS]

18. क्या आजीवन कारावास साधारण हो सकता है?

Ans. नहीं, सर, हमेशा कठोर कारावास होता है

19. आजीवन कारावास का अर्थ क्या है।

Ans. आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी व्यक्ति की मृत्यु तक आजीवन कारावास। (केस-गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य, 1961 एससी, करतार सिंह बनाम राज्य, 1985 एससी।)

20. न्यूनतम अनिवार्य कारावास के प्रावधान से संबंधित धाराओं की व्याख्या कीजिए।

Ans. धारा 304-B (80 BNS), 397 (311) & धारा 398 (312 BNS), 376 to 376-E (64-71 BNS).

21. भारतीय दंड संहिता के तहत न्यूनतम कारावास क्या है?

Ans. सर, 24 घंटे (धारा 510) (355 BNS)

22. संपत्ति के समपहरण से संबंधित धाराएं क्या हैं?

Ans. सर, धारा 126, 127, 169 और 263-ए। (154, 155, 157, 186 BNS)

23. भारतीय दंड संहिता के तहत केवल जुर्माने से संबंधित कौन सी धाराएं हैं?

Ans. धारा 154, 294-ए (193, 297 BNS) के तहत अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 137, 171-एच और 171-आई (165, 176, 177 BNS) के तहत अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना। आईपीसी की धारा 263-ए, 283 और 290 (186, 285, 292 BNS) के तहत अधिकतम 200 रुपये तक का जुर्माना।

24. क्या भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन निर्वासन की सजा दी जा सकती है?

Ans. नहीं सर।

25. मृत्युदंड या आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकता है?

Ans. समुचित सरकार (केंद्र सरकार या राज्य सरकार)।

26. जहां जुर्माना नहीं जताया गया है, वहां कितना जुर्माना हो सकता है?

Ans. असीमित, लेकिन अत्यधिक नहीं। (धारा 63) (8 BNS)

27. एक बार में एकान्त परिरोध कितने दिनों का होता है?

Ans. सर, 7 दिन। (एक महीने में सात दिन, और उतना ही अंतराल।)

Unique F

■ Paperation Covered State

- ✦ Subject-wise presentation with weightage analysis table
- ✦ Covered Last Previous Years Papers
- ✦ Linked Provision
- ✦ Diglot Q&A (English + Hindi)
- ✦ Explanation (English + Hindi)
- ✦ QR Code for Paper Solution Free Videos
- ✦ QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams



Major Laws Linking Charts

New Criminal Laws Linking Charts

Alpha Minor Laws Linking Charts



Scan this QR Code
Place Order



Sample Preview

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions



Tansukh Paliwal

LL.M, CA

Ex. Govt Officer (Raj.)

Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, "वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें". This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"Paperathon." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- Tansukh Paliwal

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Founder of Linking Laws

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range - Chapter wise	4-5
2.	Section Switching Table [CrPC - -> BNSS]	6-7
3.	Prelims MCQs	8-60
4.	Mains Questions	61-178
5.	Interview Questions	179-19
6.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	191

BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

CH.	BNSS Range Chapter wise	Sections
I	प्रारंभिक	1-5
II	दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन	6-20
III	न्यायालयों की शक्ति	21-29
IV	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता	30-34
V	व्यक्तियों की गिरफ्तारी	35-62
VI	हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं	63-93
VII	चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं	94-110
VIII	कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की & समपहरण के लिए प्रक्रिया	111-124
IX	परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति	125-143
X	पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश	144-147
XI	लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना	148-167
XII	पुलिस का निवारक कार्य	168-172
XIII	पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां	173-196
XIV	जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता	197-209
XV	कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें	210-222
XVI	मजिस्ट्रेटों से परिवाद	223-226
XVII	मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना	227-233
XVIII	आरोप	234-247
XIX	सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण	248-260
XX	मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण	261-273
XXI	मजिस्ट्रेट द्वारा समन - मामलों का विचारण	274-282
XXII	संक्षिप्त विचारण	283-288
XXIII	सौदा अभिवाक्	289-300
XIV	कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी	301-306
XXV	जांचों और विचारणों में साक्ष्य	307-336

BNSS PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - I : प्रारंभिक (1-5)

अध्याय - I : प्रारंभिक (1-5)

1. एक वारंट मामला का अर्थ क्या है?

- (a) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
- (b) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
- (c) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
- (d) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 2(एक्स) (धारा 2(य) BNSS) L/w 238-250, 275, 277, 278 Cr.PC। (धारा 261-273, 310, 312, 313 BNSS)

2. असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है, जहाँ:

- (a) पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।
- (b) पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।
- (c) पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है।
- (d) केवल न्यायालय जमानत दे सकता है।

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान: - धारा 2(एल) (धारा 2(ग) BNSS) L/w 2(सी), 41, 42-43, 149-151, 154-156, 359। (धारा 2(छ), 35, 39-40, 168-170, 173-175, 400 BNSS)

स्पष्टीकरण: Cr.PC की धारा 2 (एल) (धारा 2(ग) BNSS) के अनुसार, असंज्ञेय अपराध का अर्थ है ऐसा अपराध जिसके लिए ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की किस धारा के अंतर्गत "अपराध" शब्द को परिभाषित किया गया है?

- (a) धारा 40
- (b) धारा 2 (n)
- (c) धारा 2 (w)
- (d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]- "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।
- 2. धारा 2(ग) [2(1)(छ) BNSS]- "संज्ञेय अपराध"।
- 3. धारा 2(ठ) [2(1)(ण) BNSS]- "असंज्ञेय अपराध"।
- 4. धारा 2(ड) [2(1)(थ) BNSS]- "अपराध"।
- 5. धारा 40 IPC [2(24) BNS]- "अपराध"।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(ड) "अपराध" को परिभाषित करती है। इसका मतलब है कोई ऐसा कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य भी है, जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 (d) परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से सम्बन्धित है?

- (a) केवल संज्ञेय अपराध से
- (b) केवल असंज्ञेय अपराध से
- (c) दोनों (a) और (b) से
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. धारा 2(घ) [2(1)(ज) BNSS]- "परिवाद"।

- 2. धारा 190(1)(क) [210(1)(क) BNSS]- परिवाद प्राप्त होने पर संज्ञान।

3. धारा 200-203 (223-226 BNSS)- मजिस्ट्रेटों से परिवाद।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(घ) "परिवाद" को परिभाषित करती है। इसका मतलब मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन है। परिवाद मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से किया जाता है जिसने अपराध किया है। यहां यह व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात हो सकता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा में 'संज्ञेय अपराध' को परिभाषित किया गया है?

- (a) धारा 2-क में
- (b) धारा 2-ख में
- (c) धारा 2-ग में
- (d) धारा 2-घ में

Ans. [c]

Linked Provisions:-

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]- "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।
- 2. धारा 2(ग) [2(1)(छ) BNSS]- "संज्ञेय अपराध"।
- 3. धारा 2(ठ) [2(1)(ण) BNSS]- "असंज्ञेय अपराध"।
- 4. धारा 2(ड) [2(1)(थ) BNSS]- "अपराध"।
- 5. धारा 154 (173 BNSS)- संज्ञेय मामलों में इत्तिला।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(ग) संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के दोषी को गिरफ्तार कर सकता है और न्यायालय की अनुमति के बिना अन्वेषण शुरू कर सकता है।

6. अभिकथन (A) : जाँच विचारण से पूर्ववर्ती है।

कारण (R) : विचारण आपराधिक कार्यवाही का तीसरा चरण है।

- (a) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
- (b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
- (c) (A) सत्य है परन्तु (R) असत्य है
- (d) (R) सत्य है परन्तु (A) असत्य है

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 2(छ) CrPC [2(1)(ट) BNSS]।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(छ) जाँच को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जाँच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। जाँच विचारण से पूर्ववर्ती है।

विचारण:- CrPC विचारण शब्द को परिभाषित नहीं करता है। विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो या तो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति में समाप्त होती है लेकिन किसी को भी उन्मोचित नहीं करती है। यह एक न्यायिक अधिकरण द्वारा एक ऐसे मामले पर परीक्षण और निर्धारण है जिस पर इसका अधिकार क्षेत्र है। यह आपराधिक कार्यवाही का तीसरा चरण है।

7. दण्ड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से किस सूची के अन्तर्गत आता है?

- (a) संघ सूची में
- (b) राज्य सूची में
- (c) समवर्ती सूची में
- (d) (a) में या (b) में

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:- 7वीं अनुसूची COI।

स्पष्टीकरण:- आपराधिक विधि और दण्ड प्रक्रिया समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं जबकि पुलिस और जेल से संबंधित मामले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।

8. 'जाल बिछाने की कार्यवाही, निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है ?

- (a) जाँच का
- (b) विचारण का

BNSS PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - II : दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (6-20)

(c) अन्वेषण का

(d) उपरोक्त किसी का नहीं

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(h) (धारा 2(I) BNSS) CrPC

स्पष्टीकरण- धारा 2(h) के अनुसार, "अन्वेषण" में इस संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए सबूतों के संग्रह के लिए सभी कार्यवाही शामिल हैं जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हैं। जाल बिछाना अन्वेषण का हिस्सा है।

9. दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्रवर्तन में आया

- (a) 19 मार्च, 2013 को
- (b) 3 फरवरी, 2013 को
- (c) 21 मार्च, 2013 को
- (d) 31 मार्च, 2013 को

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 26 परंतुक, 54A परंतुक 1 और 2, 154(1) परंतुक 1 और 2, 160(1) परंतुक, 161(3) परंतुक 2, 164(5A), 173(2)(i)(h), 197 (1) स्पष्टीकरण, 198B, 273 परंतुक, 309(1), 327(2), 357B, 357C CrPC।

स्पष्टीकरण- विधेयक को 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे 3 फरवरी 2013 से प्रभावी माना गया। यह मूल रूप से भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 3 फरवरी 2013 को 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में विरोध के आलोक में एक अध्यादेश जारी किया गया था।

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 (धारा 94 BNSS) लागू नहीं होती है

- (a) परिवादी को
- (b) साक्षी को
- (c) अभियुक्त को
- (d) एक व्यक्ति को जो न परिवादी है न अभियुक्त न साक्षी

Ans. [C]

स्पष्टीकरण- धारा 91 (धारा 94 BNSS)- के उपबंध अभियुक्त पर लागू नहीं।

धारा 91 - न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, जो न्यायालय या अधिकारी का समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए समन या लिखित आदेश दे सकेगा की उस पेश करे।

अध्याय - II : दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन (6-20)

11. धारा 1(2) (धारा 1(2) BNSS) के अनुसार Cr.P.C. का कौन-कौन सा अध्याय नागालैण्ड में लागू होगा ?

- (A) Only Chapter IX
- (B) Chapters VIII and VII
- (C) Chapters VIII, IX and X
- (D) Chapters VIII, X and XI

Ans. [D]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 1 Cr.P.C। (धारा 1(2) BNSS)

स्पष्टीकरण- धारा 1 लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। धारा 1(2) में कहा गया है कि Cr.P.C. पूरे भारत में लागू है। लेकिन, अध्याय 8, 10 और 11 इन पर लागू नहीं होंगे-

- i) नागालैंड राज्य, ii) आदिवासी क्षेत्र।

* संबंधित राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को पूरे नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर सकती है।

12. पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते:

- (a) उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का है।
- (b) उसने जांच में भाग लिया हो।
- (c) वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो।
- (d) उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 25(3) परंतुक (धारा 19(3) परंतुक BNSS) L/w 24, 25ए Cr.P.C। (धारा 18, 20 BNSS)

13. CrPC की किस धारा के तहत सरकार द्वारा सहायक लोक अभियोक्ता की नियुक्ति की जाती है?

- (a) धारा 24
- (b) धारा 25
- (c) धारा 26
- (d) धारा 29

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान :- धारा 25 L/w 24 Cr.P.C. (धारा 19 L/w 18 BNSS)

स्पष्टीकरण: धारा 24 (धारा 18 BNSS) - लोक अभियोक्ता।

धारा 25 (धारा 19 BNSS) - सहायक लोक अभियोक्ता।

धारा 26 (धारा 21 BNSS) - वे न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं।

धारा 29 (धारा 23 BNSS) - दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं।

14. निम्नलिखित को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-

- I- लोक अभियोक्ता
- II- विशेष महानगर मजिस्ट्रेट
- III- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
- IV- सत्र न्यायालय

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए-
कूट -

- (a) I, II, III and IV
- (b) IV, III, II and I
- (c) III, IV, II and I
- (d) I, IV, III and II

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 9, 13, 18, 24 CrPC (8, 11, 18 BNSS)।

स्पष्टीकरण:-

- o धारा 9 सेशन न्यायालय से संबंधित है।
- o धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है।
- o धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित है।
- o धारा 24 लोक अभियोक्ता से संबंधित है।

15. निम्नलिखित में से कौन दण्ड प्रक्रिया संहिता में सही सुमेलित नहीं है?

- (a) धारा 2(d) (धारा 2(1)(h) BNSS)- परिवाद
- (b) धारा 2(h) (धारा 2(1)(l) BNSS) - अन्वेषण
- (c) धारा 2(r) (धारा 2(1)(t) BNSS)- पुलिस रिपोर्ट
- (d) धारा 2(wa) (धारा 2(1)(y) BNSS)- पीड़ित

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2 (wa) (धारा 2(1)(y) BNSS) CrPC

स्पष्टीकरण- धारा 2(wa) 'पीड़ित' शब्द को परिभाषित करती है। यह 31/12/2009 से प्रभावी 2009 के अधिनियम 5 द्वारा डाला गया था। इस धारा के अनुसार, पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे किसी कार्य या लोप के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और इसमें उसके संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी शामिल हैं।

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता में 'पीड़ित' शब्द परिभाषित है, अन्तर्गत :

- (a) धारा 2 (w) (धारा 2(1)(x) BNSS)
- (b) धारा 2 (wa) (धारा 2(1)(y) BNSS)

BNSS PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - III : न्यायालयों की शक्ति (21-29)

- (c) धारा 2 (v) (धारा 2(1)(w) BNSS)
(d) इनमें से कोई नहीं

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. दंड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 5)।
 2. धारा 357(धारा 395 BNSS)- पीड़ित को प्रतिकर।
 3. धारा 357A, B, C(धारा 396 BNSS)- पीड़ित प्रतिकर योजना।
 4. धारा 372 परंतु - पीड़ित का अपील करने का अधिकार।
- स्पष्टीकरण-** धारा 2(wa) (धारा 2(1)(y) BNSS) - पीड़ित - ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कार्य से हानि या क्षति हुई और इसमें समिलित है, पीड़ित के संरक्षक या विधिक वारिस।

17. किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है ?

- (a) राज्यपाल (b) उच्च न्यायालय
(c) राज्य सरकार (d) उपरोक्त सभी

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :-

सेशन न्यायालय संबंधी अन्य प्रावधान -

1. धारा 6 (धारा 6 BNSS)- सेशन न्यायालय आपराधिक न्यायालय।
2. धारा 26 (धारा 21 BNSS)- सेशन न्यायालय विचारणीय न्यायालय।
3. धारा 28 (धारा 22 BNSS)- सेशन न्यायालय के दंड की शक्ति।
4. धारा 193(धारा 213 BNSS)- सेशन न्यायालय न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान।
5. धारा 199(2) (धारा 222 BNSS) - सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान।
6. धारा 208 (धारा 231 BNSS)- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में अभियुक्त को दस्तावेज।
7. धारा 209(धारा 252 BNSS) - सेशन न्यायालय को मामला सुपुर्द।
8. धारा 225-237 (धारा 248-260 BNSS)-सेशन न्यायालय द्वारा विचारण प्रक्रिया।
9. धारा 276 (धारा 311 BNSS)- सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख।
10. धारा 304 (धारा 341 BNSS)- सेशन न्यायालय द्वारा विधिक सहायता।

स्पष्टीकरण - धारा 9 - सेशन न्यायालय की स्थापना प्रत्येक सेशन खंड में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन की नियुक्ति, उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी।

18. सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा ?

- (a) राज्यपाल
(b) उच्च न्यायालय
(c) राज्य सरकार
(d) जिला मजिस्ट्रेट

Ans. [b]

स्पष्टीकरण - धारा 9 (धारा 8 BNSS)- प्रत्येक सेशन न्यायालय के लिए एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी।

19. एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं?

- (a) दो (b) तीन
(c) चार (d) पाँच

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :- धारा 26 (धारा 21 BNSS)- विचारण न्यायालय।

स्पष्टीकरण - धारा 6 (धारा 6 BNSS)- आपराधिक न्यायालय :-

1. सेशन न्यायालय।
2. प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय।
3. द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय।
4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

20. धारा 25 (1 A) (Sec 19 BNSS), दण्ड प्रक्रिया संहिता को निम्न में से किस संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है ?

- (a) 1978 के अधिनियम के 05 की धारा 3 द्वारा
(b) 1978 के अधिनियम के 45 की धारा 9 द्वारा
(c) 2005 के अधिनियम के 25 की धारा 4 द्वारा
(d) 2009 के अधिनियम के 5 की धारा 3 द्वारा

Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 24(धारा 18 BNSS) - लोक अभियोजक।
 2. धारा 301 (धारा 338 BNSS)- लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी।
- स्पष्टीकरण:-** धारा 25 (1A)- केंद्र सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी भी मामले या मामलों की श्रेणी के संचालन के उद्देश्य से एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।

21. एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दण्ड पारित कर सकता है ?

- (a) मृत्यु दण्ड
(b) आजीवन कारावास
(c) सश्रम कारावास
(d) कोई भी दण्ड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो।

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 354(3) (धारा 393 BNSS) - मृत्यु दंड की दशा में विशेष कारण लिखना।
 2. धारा 368 (धारा 409 BNSS)- सेशन न्यायालय द्वारा दिये मृत्यु दंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि।
 3. धारा 413 (धारा 453 BNSS)- धारा 368 के अधीन दिये गए मृत्यु दंड का निष्पादन।
 4. धारा 414 (धारा 454 BNSS)- उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड का निष्पादन।
 5. धारा 415 (धारा 455 BNSS)- मृत्यु दंड का मुलतवी।
- स्पष्टीकरण** - धारा 28 (धारा 22 BNSS)- उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड दे सकेगा।

अध्याय - III : न्यायालयों की शक्ति (21-29)

22. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दण्डादेश दे सकता है-

- (a) मृत्युदण्ड तक
(b) आजीवन कारावास तक
(c) आजीवन कारावास तक
(d) 7 वर्ष के कारावास तक

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 29(1) L/w 12, 14, 15, 28, 325 Cr.PC (धारा 23(1) L/w 10, 12, 13, 22, 364 BNSS)

23. जिले में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिये नामों का पैनाल कौन तैयार करता है ?

- (a) केवल जिला मजिस्ट्रेट
(b) केवल सत्र न्यायाधीश
(c) जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से
(d) राज्य सरकार

Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 2(u) (धारा 2(1)(v) BNSS) - लोक अभियोजक
2. धारा 301 (धारा 338 BNSS)- लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी।
3. धारा 225(धारा 248 BNSS) - लोक अभियोजक द्वारा विचारण किया जाना।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973)

मुख्य परीक्षा प्रश्न - हल

Sample Preview

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973)

I Preliminary

1. निम्नलिखित के बीच में अंतर कीजिए -

- जांच एवं विचारण
- उन्मोचन एवं दोषमुक्ति
- समन मामला एवं वारंट मामला

[RJS 2021]

Or

जांच और विचारण के बीच अंतर।

[HJS 1988, PJS 2003]

Or

जांच और विचारण के बीच अंतर।

[HJS 1988]

Or

वारंट- मामले पर टिप्पणी लिखिए।

[BJS 1978]

Or

कौन से मामले वारंट मामले होते हैं?

[GJS 2020]

Or

समन मामला और वारंट मामला के बीच अंतर करें।

[PJS 2003]

Ans.-

(a) जांच एवं विचारण

• जांच

जांच आपराधिक मामले में एक चरण है, जहां एक न्यायिक अधिकारी, जैसे कि एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, अन्वेषण अधिकारियों से साक्ष्य प्राप्त करता है।

न्यायिक अधिकारी तब निर्णय लेता है कि क्या संदिग्ध पर अपराध का आरोप लगाने और विचारण की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

जांच के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि या दोषमुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन यह विचारण के लिए मामला तैयार करता है।

• विचारण

विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करते हैं।

एक न्यायाधीश या जूरी तब निर्णय लेते हैं कि संदिग्ध अपराध का दोषी है या नहीं।

इसके परिणामस्वरूप या तो अभियुक्त को दोषसिद्धि या दोषमुक्ति होती है।

(b) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति

Ans.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (बीएनएसएस) के अनुसार दोषमुक्ति और उन्मोचन के बीच अंतर नीचे दिए गए हैं:

- दोषमुक्ति का अर्थ है, इस संबंध में प्रस्तुत सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, जब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, तो उसे विधिक रूप से मुक्त करना। उन्मोचन का अर्थ है, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा दिया गया छोड़ने का विधिक आदेश, जब जिस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वह मिथ्या या निराधार साबित हुआ हो।
- सीआरपीसी की धारा 232, 248, 255 (255, 271, 278 बीएनएसएस) में दोषमुक्ति का प्रावधान है जबकि सीआरपीसी की धारा 227, 239, 245 (250, 262, 268 बीएनएसएस) में उन्मोचन का प्रावधान है।
- दोषमुक्ति का अर्थ है निर्दोषता का निर्णय, जहां प्रतिवादी को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है। उन्मोचन का अर्थ दोष या निर्दोषता पर निर्णय नहीं है; यह प्रक्रियात्मक या साक्ष्य संबंधी मुद्दों के कारण कार्यवाही की समाप्ति है।
- किसी व्यक्ति को आरोप विरचित करने से पहले भी उन्मोचित किया जा सकता है। आरोप विरचित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को दोषमुक्त किया जा सकता है।
- न्यायिक प्रक्रिया में पूरे विचारण के बाद अभियुक्त की बेगुनाही साबित होने पर दोषमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त को उसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य न होने के कारण उन्मोचित कर दिया जाता है।
- दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को उन्हीं आधारों पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्मोचित किए गए व्यक्ति को उन्हीं कारणों से दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
- दोषमुक्ति करने के लिए विचारण और फैसले की ज़रूरत होती है, जबकि उन्मोचित करने के लिए ऐसा नहीं होता।
- दोषमुक्ति करने का परिणाम यह होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रतिवादी के अपराध को साबित करने में विफल रहे। प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण उन्मोचित किया जा सकता है।

MAINS PAPERATHON

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973)

(c) समन मामला एवं वारंट मामला

Ans.- समन और वारंट मामले में अंतर

अंतर के बिंदु	समन मामला	Warrant Case / वारंट मामला
अपराध की प्रकृति	दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय	दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय
प्रक्रिया	CrPC के अध्याय-XX की धारा 251 से 259 तक (274-282 BNSS) प्रदान किया गया है।	CrPC के अध्याय-XIX की धारा 238 से 250 तक (261-273 BNSS) प्रदान किया गया है।
आरोप विरचित करना	अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करना जरूरी नहीं है। लेकिन, अभियुक्त को केवल विवरण ही बताया जाना चाहिए।	अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक आरोप विरचित करना अनिवार्य है।
उद्देश्य	यह अभियुक्त व्यक्ति को सूचित करता है कि वह विधिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य है।	यह उस अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाता है, जिसने सम्यक् रूप से जारी किए गए समन की अनदेखी की है।
अंतर्वस्तु	इसमें संबंधित दस्तावेजों और अन्य को न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।	सामान्यतः यह पुलिस अधिकारी को अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए अधिकृत करता है।
अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कब किया जायेगा ?	परिवादी की अनुपस्थिति या परिवादी की मृत्यु	परिवादी की अनुपस्थिति। यदि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया है। यदि अपराध असंज्ञेय और शमनीय है।
मामले का परिवर्तन	समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है।	किसी भी हालत में वारंट मामले को समन मामले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

2. निम्न में अंतर बताएं :

(a) एफ.आई.आर. और परिवाद

(b) जांच और अन्वेषण

[MPSC CJ 2022]

Or

'जांच' और 'अन्वेषण' में अंतर स्पष्ट कीजिए।

[GJS 2017]

Or

'जांच' और 'अन्वेषण' शब्दों को समझाइए। दोनों में अंतर कीजिए।

[HPJS 2016]

जांच और अन्वेषण के बीच अंतर

[PJS 2003]

(a) एफ.आई.आर. और परिवाद

अंतर का आधार	परिवाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)
परिभाषा	सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया अभिकथन।	पुलिस अधिकारी को दी गई संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना। [धारा 154 सीआरपीसी (173 बीएनएसएस)]
कौन दाखिल कर सकता है?	किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है।	इसे केवल पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित की ओर से कोई व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी हो, द्वारा ही दायर किया जा सकता है।
कहाँ दाखिल करें	सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।	पुलिस स्टेशन में दाखिल किया जाता है। [धारा 154 सीआरपीसी (173 बीएनएसएस)]

MAINS PAPERATHON

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (CrPC, 1973)

अंतर का आधार	परिवाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)
संज्ञान	मजिस्ट्रेट परिवाद के आधार पर संज्ञान ले सकते हैं।	मजिस्ट्रेट एफआईआर के आधार पर तब तक संज्ञान नहीं ले सकते जब तक पुलिस अन्वेषण करके अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती। [सीआरपीसी धारा 173, 190 (193, 210 बीएनएसएस)]
अपराध के प्रकार	संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के लिए दायर किया जा सकता है।	केवल संज्ञेय अपराधों के लिए। [CrPC की धारा 2(ग) (2(1)(छ) बीएनएसएस)]
प्रक्रिया	सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।	एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हस्तक्षेप और अन्वेषण की आवश्यकता होती है।
परिसीमा काल	परिवाद दर्ज करने के लिए कोई परिसीमा काल नहीं।	एफआईआर बिना देरी के दर्ज की जानी चाहिए, किसी भी देरी का स्पष्टीकरण देना होगा।

(b) जांच और अन्वेषण

अन्वेषण और जांच के बीच अंतर

आधार	अन्वेषण	जांच
अर्थ	अन्वेषण वह प्रक्रिया है जिसमें मामले से संबंधित परिस्थितियों को जानने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह किया जाता है।	जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो अनिश्चितता को दूर करने, सही तथ्यों का पता लगाने या उसके बारे में ज्ञान का विस्तार करने के लिए शुरू की जाती है।
परिभाषा	दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(ज) [2(1)(ठ) बीएनएसएस] में परिभाषित।	दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(छ) [2(1)(ट) बीएनएसएस] में परिभाषित।
किसके द्वारा की जाती है	पुलिस अधिकारी द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।	यह मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है।
चरण	किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण पहला चरण है।	जांच दूसरा चरण है जो अन्वेषण के बाद आता है।
उद्देश्य	इसका उद्देश्य कथित अपराध से संबंधित तथ्य और साक्ष्य एकत्र करना है।	इसका उद्देश्य साक्ष्य के आधार पर आरोपों की सच्चाई या झूठ का पता लगाना है।
प्रारंभ	किसी कथित अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या परिवाद दर्ज होने पर अन्वेषण शुरू होता है।	जांच तब शुरू होती है जब पुलिस अपने अन्वेषण के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करती है।
समापन	पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही अन्वेषण समाप्त हो जाता है।	जांच अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के साथ समाप्त होती है।
प्रक्रिया की प्रकृति	अन्वेषण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।	जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है जो न्यायालय की निगरानी में की जाती है।

3. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच अंतर।

[DJS 1973, 2006, RJS 1979, HJS 1999, UP PCS(J) 1987,2015]

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, जमानती और अजमानतीय अपराध, शमनीय और अशमनीय अपराध, समन विचारण और वारंट विचारण के बीच अंतर करें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (CrPC, 1973)

साक्षात्कार प्रश्न - हल

Sample Preview

BNSS INTERVIEW QUESTIONS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (CrPC, 1973)

1. जमानती और गैर जमानती अपराध में क्या अंतर है?

Ans. सर, जमानती अपराध के मामले में, आरोपी व्यक्ति द्वारा जमानत का दावा अधिकार के रूप में किया जाता है और न्यायालय या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए बाध्य होते हैं जो अभिरक्षा में है जो जमानत देने के लिए तैयार है। जबकि गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत न्यायालय का विवेकाधिकार है।

2. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है?

Ans. सर, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है। जबकि गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी के पास धारा 155 (2) (174 BNSS के तहत वारंट या न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वह सीआरपीसी की धारा 165 (185 BNSS) के तहत तलाशी ले सकता है।

3. परिवाद और इत्तिला में क्या अंतर है?

Ans. सर, परिवाद के मामले में, शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट से अनुरोध करता है कि अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन इत्तिला के मामले में मजिस्ट्रेट स्वयं विवेक से कार्यवाही करता है।

4. जांच और विचारण के बीच क्या अंतर है?

Ans. सर, जांच शब्द उस चरण तक की कार्यवाही को कवर करता है जब वे आरोप मुक्त हो जाते हैं, जबकि शब्द विचारण उस बिंदु से कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति हो सकती है।

5. जांच और अन्वेषण के बीच क्या अंतर है?

Ans. सर,
(i) एक मजिस्ट्रेट या एक न्यायालय द्वारा एक जांच की जाती है, लेकिन एक अन्वेषण एक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय नहीं हो, की जाती है।
(ii) एक जांच न्यायिक या गैर-न्यायिक हो सकती है लेकिन एक अन्वेषण कभी भी न्यायिक नहीं हो सकती है।
(iii) जांच का उद्देश्य सत्य का निर्धारण करना है लेकिन अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है।

6. कुछ मामलों को बताएं जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच की जा सकती है?

Ans. सर,
(i) धारा 145 (4) के तहत स्थावर संपत्ति के विवाद के मामले में। (164 BNSS)
(ii) धारा 146, 147 एवं 148 (165, 166, 167 BNSS) के तहत कार्यवाही में।
(iii) धारा 176 (196 BNSS) के तहत पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मौत के मामले में।

7. अपराध क्या है?

Ans. सर, अपराध का अर्थ किसी भी कार्य या लोप से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। (अपराध को आईपीसी की धारा 40 व 2(n) सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है)।

8. समन मामले और वारंट मामले में क्या अंतर है?

Ans. सर, सभी मामले जिनमें अपराध की दो वर्ष या दो वर्ष से कम की सजा है, समन मामले कहलाते हैं। जबकि वे सभी मामले जिनमें अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वारंट मामले हैं।

9. त्वरित विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा क्या संशोधन किए गए हैं?

Ans. (1) बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में अन्वेषण इत्तिला की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
(2) कोई स्थगन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि परिस्थितियाँ पक्षकार के नियंत्रण से बाहर न हों।
(3) बलात्कार के मामलों का विचारण साक्षियों की परीक्षा शुरू होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

10. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के उद्देश्य क्या हैं?

Ans. त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और आपराधिक न्याय प्रणाली को बढ़ावा देना।

11. दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहे। क्या आप भी इसमें शामिल थे?

Ans. नहीं सर।

12. क्यों?

Ans. (1) सर, धारा 309 में जिस संशोधन से हड़ताल हुई थी, संशोधन से मामला शीघ्र ही सुलझ जाएगा। आम लोगों का न्याय पर विश्वास बना रहेगा। सर, न्याय देरी से विफल होता है और न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य धाराओं में संशोधन आवश्यक था।
(2) यदि असहमत-कुछ संशोधन जैसे धारा 309 में संशोधन से अधिवक्ता और मुवक्किल दोनों को परेशानी होगी। मुवक्किल को यह कठिनाई होगी कि उसे बार-बार वकील को फीस देनी पड़ सकती है और वकील को परेशानी होगी कि वह एक-दो मुकदमे में ही बहस कर सकता है। दूसरे, यदि किसी कारण से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय को अधिकार है कि वह साक्षी का बयान दर्ज करे और उसे परीक्षा या प्रति-परीक्षा से मुक्त करे और उचित आदेश पारित करे। इस प्रावधान का लाभ आरोपियों को मिलेगा।

13. न्यायिक अतिक्रमण क्या है?

Ans. जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना शुरू करती है तो इसे न्यायिक अतिक्रमण का नाम दिया जाता है।

14. किस मामले में और किस न्यायाधीश ने न्यायिक अतिक्रमण का प्रयोग किया है?

Ans. इंदिरा प्रियदर्शन बनाम भारत संघ, (2008), माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू।

15. अंतरिम जमानत क्या है?

Ans. न्यायालय जमानत अर्जी पर अंतिम आदेश पारित करने से पहले कुछ समय के लिए जमानत स्वीकार कर सकता है। इसे अंतरिम जमानत कहते हैं।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत ऑडी अल्टरम पार्टेम से संबंधित है?

Ans. सर, धारा 313। (351 BNSS)

17. दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा न्यायालय को असाधारण क्षेत्राधिकार प्रदान करती है?

Ans. सर, धारा 482। (528 BNSS)

18. और अनुच्छेद?

Ans. सर, अनुच्छेद 142।

BNSS INTERVIEW QUESTIONS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

19. 'सौदा अभिवाक' क्या है?

Ans. सौदा अभिवाक, अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष के बीच समझौते द्वारा मामले को निपटाने की प्रक्रिया है जहां अभियुक्त 7 वर्ष तक के अपराध के मामलों में न्यायालय में शपथ पत्र पर आवेदन कर दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं।

20. किस संशोधन अधिनियम द्वारा 'सौदा अभिवाक' को जोड़ा गया है?

Ans. सर, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा।

21. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 को हाल ही में दो बार संशोधित किया गया है? संशोधन अधिनियम का नाम बताइए।

Ans. सर, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018।

22. 'सौदा अभिवाक' के बारे में विस्तार से बताएं या सौदा अभिवाक के मुख्य बिंदुओं को बताएं।

Ans. (i) अभियुक्त द्वारा 'सौदा अभिवाक' के लिए आवेदन दाखिल किया गया है।
(ii) आवेदन उस न्यायालय में दायर किया जाता है जहां मामला विचारण के लिए लंबित है।
(iv) मामले के आपसी समाधान में न्यायालय न्यूनतम दंड के आधा दंड का प्रावधान करती है और जहां आरोपित अपराध के लिए न्यूनतम दंड का प्रावधान नहीं है, वहां अभियुक्त उस अपराध के लिए दंड का एक चौथाई प्रदान करता है।
(iv) अभिव्यक्त सौदेबाजी के आधार पर न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय में रिट याचिका और उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकती है।
(v) अध्याय 21-ए का प्रावधान उस अभियुक्त के विरुद्ध लागू होता है जिसके द्वारा 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध किया गया प्रतीत होता है।
(vi) सौदा अभिवाक का प्रावधान वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या महिला या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध किया गया प्रतीत होता है। धारा 265- (जी) के अनुसार, इस अध्याय की कोई भी बात किसी भी बालक या किशोर पर लागू नहीं होगी।

23. क्या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई अन्य समान प्रावधान है?

Ans. हां सर, धारा 320 (359 BNSS) में अपराध के शमन का प्रावधान है।

24. धारा 320 (359 BNSS) को समझाइए।

Ans. सर, धारा 320 (359 BNSS) के अंतर्गत दो तालिकाएँ हैं- तालिका 1 उन अपराधों की सूची देती है जिनमें अपराधी और पीड़ित न्यायालय की अनुमति के बिना पक्षकार अपसा में समझौता कर सकते हैं। तालिका 2 में ऐसे अपराधों की सूची दी गई है जिनमें पक्षकार केवल न्यायालय की अनुमति से ही समझौता कर सकते हैं।

25. अपराध का शमन और सौदा अभिवाक के बीच मूल अंतर क्या है?

Ans. सर, अपराध के शमन में पीड़ित द्वारा आवेदन किया जा सकता है, जबकि सौदा अभिवाक के मामले में आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वयं किया जा सकता है।
सौदा अभिवाक में आरोपी को सजा सुनाई जा सकती है जबकि अपराध के शमन में आरोपी को उनमोचित कर दिया जाता है।
अपराध के शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषसिद्धि है, जबकि सौदा अभिवाक में अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है और प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है।

26. दोनों में क्या समानता है?

Ans. सर, अभियुक्त को दोनों प्रावधानों में पूर्व दोषसिद्धि का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

27. क्या आप किसी चरण में समझौता करने गए हैं?

Ans. हाँ सर।

28. किस मामले में?

Ans. सर, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध और गृह अतिचार आदि जैसे मामलों में।

29. क्या चोरी और छल के अपराध का शमन किया जा सकता है?

Ans. जी सर, चोरी तथा छल का अपराध संहिता की धारा 320(1) के अंतर्गत शमनीय है तथा शमन किया जा सकता है।

30. सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के बीच क्या अंतर है?

Ans. सर, जब जिला न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है और जब वह एक सिविल मामले की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है।

31. क्या आप किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं?

Ans. हां सर, जब आरोपी व्यक्ति करता है

- (i) हमारी उपस्थिति में गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध या
- (ii) वह उद्धोषित अपराधी है। (धारा 43) (40 BNSS)

32. क्या गिरफ्तारी में किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है?

Ans. हां सर।

33. कब?

Ans. जब गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आरोप लगाया जाता है और वह गिरफ्तारी का विरोध करता है (धारा 46) (43 BNSS)

34. क्या किसी महिला को रात में गिरफ्तार किया जा सकता है?

Ans. हाँ सर, असाधारण परिस्थितियों में, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से और एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। (धारा 46) (43 BNSS)

35. क्या आप गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं?

Ans. नहीं सर।

36. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के संबंध में प्रावधान कहां है?

Ans. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54A (54 BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 (7 BSA) के तहत।

37. उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया क्या है?

Ans. सर, सम्मन, वारंट, उद्धोषणा और कुर्की।

38. समन और वारंट में क्या अंतर है?

Ans. समन उस व्यक्ति के नाम से होता है जो उपस्थित होने के लिए जाना जाता है लेकिन वारंट किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति या वस्तु को पेश करने के लिए दिया जाता है।

39. वारंट कब तक प्रभावी रहता है?

Ans. वारंट तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है या जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जाता है।

BNSS INTERVIEW QUESTIONS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

Ans. सर, धारा 2 (डब्ल्यूए) के अनुसार "पीड़ित" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति हुई है जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और अभिव्यक्ति "पीड़ित" में उसका शामिल है संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी।

213. परिवाद का मतलब क्या है?

Ans. उत्तर. सर, धारा 2(घ) के अनुसार "परिवाद" का अर्थ इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं करता है।

214. पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद बन जाती है?

Ans. उत्तर. सर, धारा 2(घ) के अनुसार, स्पष्टीकरण किसी मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, जो अन्वेषण के बाद, गैर-संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, एक परिवाद मानी जाएगी; और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, उसे परिवादी माना जाएगा।

215. 'संज्ञेय अपराध' को परिभाषित करें।

Ans. सीआरपीसी की धारा 2(ग) के अनुसार अपराध 'संज्ञेय अपराध' है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

216. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्या सजा दी जा सकती है?

Ans. सीआरपीसी की धारा 29(1) (23 BNSS) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात साल से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर विधि द्वारा अधिकृत कोई भी सजा सुना सकती है।

Scan QR

for

Landmark Judgments
(Year wise & Subject wise)



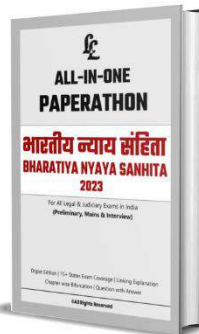
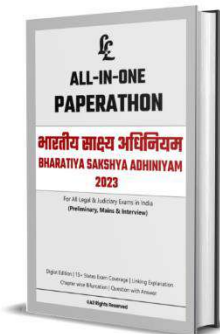
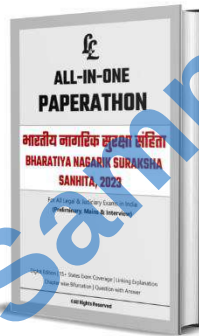
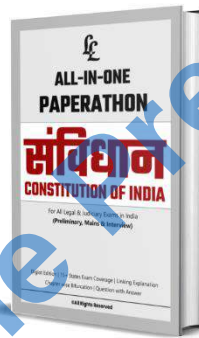
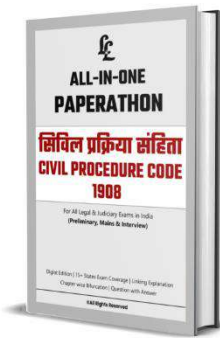


ALL-IN-ONE PAPERATHON[®]

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.

Available in English and Hindi Edition



Linking Support

988 774 6465 (Classes)

773 774 6465 (Publication)



Scan this QR

Order Now or visit

www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams

is available at **Linking App.**



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions



Tansukh Paliwal

LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, "वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें". This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"Paperathon." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- Tansukh Paliwal

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range - Chapter wise	4
2.	Section Switching Table [IEA - -> BSA]	5
3.	Prelims MCQs	6-57
4.	Mains Questions	58-160
5.	Interview Questions	161-165
6.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	166

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023		
CH.	BSA Range Chapter wise	Sections
भाग - I		
I	प्रारंभिक	1-2
भाग - II		
II	तथ्यों की सुसंगति के विषय में	3-50
भाग - III - सबूत के विषय		
III	तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है	51-53
IV	मौखिक साक्ष्य के विषय में	54-55
V	दस्तावेजी साक्ष्य	56-93
VI	दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में	94-103
भाग - IV साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव		
VII	सबूत के भार के विषय में	104-120
VIII	विबन्ध	121-123
IX	साक्षियों के विषय में	124-139
X	साक्षियों की परीक्षा के विषय में	140-168
XI	साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में	169
XII	निरसन और व्यावृत्ति ।	170
-	अनुसूची	-

BSA PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - I : प्रारंभिक

भाग - I

अध्याय- I : प्रारंभिक

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयुक्त 'न्यायालय' शब्द से तात्पर्य है-

- (a) सभी न्यायाधीश
- (b) सभी मजिस्ट्रेट
- (c) मध्यस्थों के अतिरिक्त वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने हेतु वैध रूप से प्राधिकृत हैं
- (d) उपरोक्त सभी

Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. धारा - 6 दंड न्यायालय वर्ग (द.प्र.सं. 1973)। (धारा 6 BNSS)
- 2. धारा- 9,10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 (द.प्र.सं. 1973)।
- 3. मध्यस्थ व सुलह अधिनियम।

स्पष्टीकरण - धारा 3 - न्यायालय - सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति समिलित है मध्यस्थ के सिवाय।

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 लागू होता है:

- (a) किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में
- (b) किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किये शपथ-पत्रों में
- (c) किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में
- (d) उपरोक्त सभी में

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. धारा 23 (धारा 21 BSA) - आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं।
- 2. धारा 105 (धारा 108 BSA) - सिविल कार्यवाही पर लागू नहीं।

स्पष्टीकरण- धारा 1 - साक्ष्य अधिनियम लागू होता है- सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर।

सिवाय - मध्यस्थ, शपथपत्र तथा सेना, नौसेना, वायुसेना अधिनियम पर।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है?

- (1) मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है।
- (2) धातु पट्ट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है।
- (3) उपहासांकन दस्तावेज नहीं है।
- (4) किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है।

Ans. (3)

लिंकिंग प्रावधान:-

- 1. धारा 22 (धारा 20 BSA) - दस्तावेजों के संबंध में संस्वीकृति।
- 2. धारा 61 (धारा 56 BSA) - दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्यों द्वारा साबित।
- 3. धारा 62 (धारा 57 BSA) - प्राथमिक साक्ष्य।
- 4. धारा 63 (धारा 58 BSA) - द्वितीयक साक्ष्य।
- 5. धारा 65 (धारा 60 BSA) - परिस्थिति जब द्वितीयक साक्ष्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा।
- 6. धारा 74 (धारा 74 BSA) - लोक दस्तावेज।
- 7. धारा 76 (धारा 75 BSA) - लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।
- 8. धारा 77 (धारा 76 BSA) - प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में ग्राह्य।
- 9. धारा 29 [धारा 2(8) BNS] - दस्तावेज, भा.द.सं. 1860

स्पष्टीकरण - धारा 3 - उपहासांकन दस्तावेज है।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में जहां एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय -----

- (1) एक तथ्य के नासाबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और नासाबित होने के तथ्य पर साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(3) एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा परन्तु उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा देगा

(4) एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को नासाबित मानेगा और साबित होने के तथ्य पर साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

Ans. [2]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 41 (धारा 35 BSA) - प्रोबेट, आदि क्षेत्राधिकार में कुछ निर्णय की सुसंगतता।

2. धारा 112 (धारा 116 BSA) - विवाह के दौरान जन्म, धर्मजत्व का निश्चयक सबूत।

3. धारा 113 - क्षेत्र के कब्जे का सबूत।

नोट:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 को BSA, 2023 द्वारा हटा दिया गया है।

स्पष्टीकरण:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 [धारा 2(b)/h/l) BSA] उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत को परिभाषित करता है।

निश्चयक सबूत:-

• जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया जाता है, तो न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य को साबित मानेगा और उसे गलत साबित करने के उद्देश्य से सबूत देने की अनुमति नहीं देगा।

• यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां कोई अधिनियम किसी सबूत को कुछ तथ्यात्मक स्थिति या विधिक परिकल्पना के निश्चयक सबूत के रूप में मानने का आदेश देता है, तो कोई अन्य सबूत उपरोक्त निष्कर्ष का खंडन करने या उसे अलग करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता है।

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्न्तगत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है-

- (a) इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
- (b) दस्तावेजी साक्ष्य
- (c) मौखिक साक्ष्य
- (d) आधुनिक साक्ष्य

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 3 (धारा 2 BSA)- साक्ष्य की परिभाषा।

2. धारा 61(धारा 56 BSA) - दस्तावेजी साक्ष्य - प्राथमिक साक्ष्य व द्वितीयक साक्ष्य।

3. धारा 62 (धारा 57 BSA)- प्राथमिक साक्ष्य।

4. धारा 63 (धारा 58 BSA)- द्वितीयक साक्ष्य।

5. धारा 60 (धारा 55 BSA)- मौखिक साक्ष्य प्रत्येक अवस्था में प्रत्यक्ष होना चाहिए।

6. धारा 91 (धारा 94 BSA)- दस्तावेजी साक्ष्य दस्तावेज द्वारा ही साबित।

स्पष्टीकरण - धारा 3 - साक्ष्य - दस्तावेजी साक्ष्य - न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये गए दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य।

मौखिक साक्ष्य - तथ्यों के संबंध में अन्वेषण में दिए गए दोनों कथन समिलित है।

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार, इस अधिनियम का प्रयोजन है

- (a) साक्ष्य विधि को उपलब्ध, परिभाषित एवं संशोधित करना
- (b) साक्ष्य विधि को उपलब्ध, व समेकन करना

BSA PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - I : प्रारंभिक

- (c) साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना
(d) साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित एवं संशोधित करना

Ans. [d]

लिकिंग प्रावधान :-

1. 1872 का अधिनियम संख्या 1।

2. लागू - 1 सितंबर, 1872।

स्पष्टीकरण- साक्ष्य की विधि का 'समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है।

8. वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इन्कार या मना किया जाता है, कहलाते हैं

- (a) सकारात्मक तथ्य
(b) नकारात्मक तथ्य
(c) सुसंगत तथ्य
(d) विवाद्यक तथ्य

Ans. [d]

लिकिंग प्रावधान- धारा 3 (धारा 2 BSA) L/w 5 (धारा 3 BSA) IEA, आदेश 14 CPC।

स्पष्टीकरण- धारा 3 "विवाद्यक तथ्य" शब्द को परिभाषित करता है। ये वे तथ्य हैं, जो एक पक्ष द्वारा अभिकथित किए जाते हैं और सिविल मामले में अभिवचन में दूसरे द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं या अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित किए जाते हैं और एक आपराधिक मामले में अभियुक्त द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं। इसे प्रधान तथ्य या "फैक्टम प्रोबंडम" कहा जाता है।

9. विधि की अखण्डनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किये गये हैं ?

- (a) उपधारणा कर सकेगा में
(b) उपधारणा करेगा में
(c) निश्चयात्मक सबूत में
(d) उपरोक्त सभी में

Ans. [c]

लिकिंग प्रावधान- धारा 4 L/w 41 (धारा 35 BSA), 112 (धारा 116 BSA), 113 (Delete in BSA) IEA।

स्पष्टीकरण- धारा 4 IEA के अनुसार, जब साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और यह (न्यायालय) उस तथ्य को खंडन करने या अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के साक्ष्य की अनुमति नहीं देगा। IEA की धारा 41, 112 और 113 "निश्चयात्मक सबूत या विधि की अखंडनिय उपधारणा" से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है।

10. "एक तथ्य साबित किया जाना है" का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है ?

- (a) क्वीड प्रोबंडम
(b) मोडस प्रोबन्डी
(c) (a) और (b) दोनों
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

Ans. [a]

लिकिंग प्रावधान- धारा 3 (धारा 2 BSA) IEA।

स्पष्टीकरण- क्वीड प्रोबेनडम का अर्थ है सिद्ध की जाने वाली बातें।

11. निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है "एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नींव के रूप में है" ?

- (a) प्रत्यक्ष साक्ष्य
(b) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
(c) (a) और (b) दोनों
(d) उपरोक्त कोई नहीं

लिकिंग प्रावधान- धारा 3 (धारा 3 BNSS) IEA।

स्पष्टीकरण- परिस्थितिजन्य साक्ष्य कुछ तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर एक अभियुक्त के अपराध को साबित करने की अप्रत्यक्ष विधि को संदर्भित करता है जो कि मामले में तथ्यों से निकटता से संबंधित हैं। हालाँकि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए आवश्यक सबूत का स्तर काफी ऊँचा है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोष सिद्ध करते समय न्यायालय आमतौर पर सतर्क रहते हैं।

Ans. [b]

12. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं :

- (a) मौखिक साक्ष्य
(b) कोई साक्ष्य नहीं
(c) दस्तावेजी साक्ष्य
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

लिकिंग प्रावधान :-

1. धारा 61 (धारा 56 BSA) - दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किये जायेंगे।

2. धारा 62 (धारा 57 BSA) - प्राथमिक साक्ष्य।

3. धारा 63 (धारा 58 BSA) - द्वितीयक साक्ष्य।

4. धारा 65 (धारा 60 BSA) - परिस्थितियाँ जब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।

5. धारा 22 (धारा 20 BSA) - दस्तावेजी साक्ष्य की अंतर्वस्तु की स्वीकृति।

6. धारा 91 (धारा 94 BSA) - दस्तावेजी साक्ष्य दस्तावेज द्वारा ही साबित।

स्पष्टीकरण - धारा 3 (धारा 2 BSA) - साक्ष्य - दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य।

दस्तावेजी साक्ष्य - न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये गये दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है।

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कितनी धाराएँ और अध्याय है ?

- (a) 160 धाराएँ और 10 अध्याय
(b) 180 धाराएँ और 14 अध्याय
(c) 172 धाराएँ और 16 अध्याय
(d) 167 धाराएँ और 11 अध्याय

Ans. [d]

लिकिंग प्रावधान :-

1. भाग प्रथम - अध्याय 1-2 (धारा 1-55)।

2. भाग द्वितीय - अध्याय 3-6 (धारा 56-100)।

3. भाग तृतीय - अध्याय 7-11 (धारा 101-167)।

स्पष्टीकरण - साक्ष्य अधिनियम, 1872 को 3 भाग में व 11 अध्यायों तथा 167 धाराओं में विभक्त किया गया है।

14. निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 (Sec 2 BSA) के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है?

- (a) न्यायालय (b) संस्वीकृति
(c) साक्ष्य (d) दस्तावेज

Ans. [b]

लिकिंग प्रावधान :-

1. धारा 24-30 (धारा 22-24 BSA) - संस्वीकृति के संबंध में प्रावधान (साक्ष्य अधिनियम, 1872)।

2. धारा 164 (धारा 183 BNSS) - मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करना (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)।

3. धारा 463 (धारा 509 BNSS) - संस्वीकृति में गलती या लोप का प्रभाव CrPC।

स्पष्टीकरण - धारा 3 - के अंतर्गत न्यायालय, साक्ष्य व दस्तावेज को परिभाषित किया गया है, जबकी संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।

BSA PRELIMS PAPERATHON

अध्याय - I : प्रारंभिक

15. भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है

- (a) शपथ पत्रों में
- (b) न्यायिक कार्यवाहियों में
- (c) माध्यस्थ कार्यवाहियों में
- (d) ये सभी

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 23(धारा 21 BSA) - आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं।

2. धारा 105(धारा 108 BSA)- सिविल कार्यवाही पर लागू नहीं।

स्पष्टीकरण - धारा 1(धारा 1 BSA)- साक्ष्य अधिनियम लागू होता है- न्यायालय के समक्ष की सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी आते हैं।

सिवाय - मध्यस्थ मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों पर, शपथपत्र पर तथा सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम पर।

16. साक्ष्य विधि है :

- (a) लेक्स टेलीनियस
- (b) लेक्स फोरी
- (c) लेक्स लोसाई
- (d) लेक्स साइट्स

Ans [b]

स्पष्टीकरण:- साक्ष्य का नियम लेक्स फॉरी है। इसका मतलब है कि साक्ष्य उन मामलों में से एक है जो उस देश की विधि द्वारा शासित होते हैं जिसमें कार्यवाही होती है (लेक्स फॉरी)।

17. निम्नलिखित में से कौन से शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित नहीं किया गया है ?

- (a) प्रमाणित
- (b) अप्रमाणित
- (c) प्रमाणित नहीं हुआ
- (d) शून्य

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(g) - शून्य करार

2. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 - यदि प्रतिफल और उद्देश्य विधिविरुद्ध हैं तो करार शून्य।

3. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25-बिना प्रतिफल के करार शून्य है।

स्पष्टीकरण:- विधि में शून्य का अर्थ है जिसका कोई विधिक प्रभाव न हो। कोई कार्रवाई, दस्तावेज़, या संव्यवहार जो शून्य है, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अन्तर्गत कौन परिभाषित नहीं है ?

- (a) निश्चयक सबूत
- (b) उपधारणा करेगा
- (c) उपधारणा कर सकेगा
- (d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 160 (धारा 163 BSA)- मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- साक्ष्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य हो सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसी तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जैसे किसी प्रत्यक्षदर्शी की गवाही। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में कुछ तथ्यों के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों की एक श्रृंखला होती है।

19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित 'न्यायालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं ?

- (a) सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं अन्य सभी जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिये प्राधिकृत हैं।
- (b) सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं मध्यस्थ
- (c) केवल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट
- (d) न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्ता

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:- IPC की धारा 20 (Sec 2(5) BNS) - न्यायालय।

स्पष्टीकरण:- धारा 3 (धारा 2 BSA) - न्यायालय" में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट शामिल हैं, और मध्यस्थों को छोड़कर विधिक रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत सभी व्यक्ति शामिल हैं।

20. एक अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर प्रत्येक दिन अपने घर की दीवार पर एक निशान बनाता है जिससे वह अपनी प्रतिदिन की दिहाड़ी का हिसाब रख सके। ये निशान साक्ष्य हैं :

- (a) दस्तावेजी साक्ष्य
- (b) अनुश्रुत साक्ष्य
- (c) मौखिक साक्ष्य
- (d) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 34 (धारा 28 BSA)- खालों की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ जब सुसंगत हों।

2. धारा 114 (f) (धारा 119 BSA) - न्यायालय यह मान सकता है कि व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली का पालन किया गया है।

3. धारा 16 (धारा 14 BSA)-व्यवसाय की कार्यप्रणाली का अस्तित्व जब सुसंगत हों।

4. धारा 3 (धारा 2 BSA)- दस्तावेज़

स्पष्टीकरण:- धारा 3 दस्तावेज़ के अनुसार "का अर्थ किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला है, जिसका उपयोग करने का आशय है, या जिसका उपयोग, उद्देश्य के लिए उस मामले को अभिलिखित करने के लिए किया जा सकता है। एक अशिक्षित मजदूर द्वारा अपने घर की दीवार पर दैनिक मजदूरी की गणना करने के लिए दैनिक निशान को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है क्योंकि वे निशान व्यवसाय के दौरान बनाए गए हैं और वे सुसंगत हैं।

21. साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?

- (a) विवेक के साधारण नियम
- (b) साक्ष्य के विधिक नियम
- (c) तर्क के नियम
- (d) उपर्युक्त सभी

Ans. [b]

स्पष्टीकरण:- साक्ष्य का कानून केवल साक्ष्य के कानूनी नियमों से संबंधित है।

22. निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत "दस्तावेज" शब्द के अर्थ के अन्तर्गत नहीं आता है?

- (a) लेख
- (b) मानचित्र
- (c) टेलीफोन वार्ता
- (d) फोटोचित्रित शब्द

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 3, IEA (धारा 2 BSA) - निर्वचन खण्ड।

2. धारा 29, IPC [धारा 2(8) BNS] - दस्तावेज़

स्पष्टीकरण - "दस्तावेज़" - "दस्तावेज़" का अर्थ किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक साधनों

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

BSA MAINS PAPERATHON

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

Chapter - I Definitions

1. निम्न में अंतर बताएं :

तथ्य की उपधारणाएँ और विधि की उपधारणाएँ

[MPSC CJ 2022]

Ans.- तथ्य की उपधारणा:

1. **परिभाषा:** मामले की परिस्थितियों से निकाले गए प्राकृतिक निष्कर्षों पर आधारित।
2. **प्रकृति:** न्यायालय द्वारा स्वीकार या अस्वीकार करना विवेकाधीन है।
3. **उदाहरण:** चोरी की गई संपत्ति के कब्जे से अपराध की उपधारणा, लापता होने के सात साल बाद मृत्यु की उपधारणा (धारा 108) (111 BSA)।
4. **खंडनीय:** हमेशा खंडनीय।
5. **स्रोत:** मानवीय अनुभव और सामान्य ज्ञान से व्युत्पन्न।
6. **लचीलापन:** मामले के तथ्यों और न्यायिक तर्क के आधार पर भिन्न हो सकता है।

विधि की उपधारणा:

1. **परिभाषा:** विधिक प्रावधानों और कानूनों द्वारा स्थापित।
2. **प्रकृति:** अनिवार्य जब तक कि साक्ष्य द्वारा खंडन न किया जाए।
3. **उदाहरण:** वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की धर्मजता की उपधारणा (धारा 112) (116 BSA), प्रमाणित प्रतिलिपि के उचित निष्पादन की उपधारणा (धारा 79) (78 BSA)।
4. **खंडनीय या अखंडनीय:** खंडनीय हो सकता है (जैसे, धारा 114) (119 BSA) या अखंडनीय (निश्चायक सबूत, जैसे, धारा 41) (35 BSA)।
5. **स्रोत:** कानून और विधिक सिद्धांतों में संहिताबद्ध।
6. **लचीलापन:** निश्चित; वैधानिक प्रावधानों का पालन करता है।

2. विवाहक तथ्य पर टिप्पणी लिखें।

[BJS 2018]

विवाहक तथ्य क्या है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।

Or

[RJS 1984, UP PCS(J) 2000, 2012, M.P. CJ 2003]

Ans.- विवाहक तथ्य:

1. **परिभाषा:**
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (2 BSA) की धारा 3 के अनुसार, "विवाहक तथ्य" उन तथ्यों को संदर्भित करता है, जो मूल विधि के तहत, किसी मामले में दावा किए गए या अस्वीकार किए गए किसी भी विधिक अधिकार या दायित्व को स्थापित करने या खंडन करने के लिए आवश्यक हैं।
2. **विशेषताएँ:**
तात्त्विक तथ्य: यह विवादित मामले से सीधे संबंधित तथ्य है।
निर्धारण: इसका सबूत या खंडन सीधे मामले के परिणाम को प्रभावित करता है।
अधिकारों या दायित्वों से संबंध: इसमें एक पक्ष द्वारा दावा किए गए और दूसरे द्वारा अस्वीकार किए गए विधिक अधिकार या दायित्व शामिल हैं।
3. **उदाहरण:**
चोरी के मामले में, अभियुक्त ने संपत्ति को बेईमानी से लिया या नहीं, यह विवाहक तथ्य है।
संविदा विवाद में, संविदा का उल्लंघन किया गया या नहीं, यह विवाहक तथ्य है।
4. **सुसंगत तथ्यों से अंतर:**
विवाहक तथ्य विवाद का केंद्रीय बिंदु है।
सुसंगत तथ्य वे होते हैं जो किसी विवाहक तथ्य को साबित करने या उसे गलत साबित करने में मदद करते हैं।
5. **विचारणों में भूमिका:**
पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों के दायरे का मार्गदर्शन करता है।
विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए न्यायालय द्वारा विवाहक को विरचित करने का निर्देश देता है।

3. "विवाहक तथ्य" और "सुसंगत तथ्य" की व्याख्या और वर्णन करें।

[HJS 2001, 2006, 2015]

Or

बाद में तस्वीरों या संदिग्धों की परेड से ऐसा कर सकता है। TIP आरोपी की पहचान स्थापित करने में मदद करता है, खासकर जब प्रत्यक्षदर्शी की पहचान पर सवाल उठता है।

2. **पुष्टि करने वाला साक्ष्य:** जबकि TIP अपने आप में निर्णायक नहीं है, यह साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान की पुष्टि करने में पुष्टि करने वाला हो सकता है। यदि कोई साक्षी परेड में आरोपी की पहचान करता है, तो यह अपराध में आरोपी की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान करता है। हालांकि, पहचान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्टि की जानी चाहिए।
3. **स्वतंत्र मूल्य:** TIP का इस अर्थ में कोई स्वतंत्र साक्ष्य मूल्य नहीं है कि यह सीधे अपराध के होने को साबित नहीं करता है। इसका महत्व साक्षी की पहचान को प्रदान की जाने वाली विश्वसनीयता में निहित है। TIP झूठी पहचान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पहचान सुझाव या कोचिंग का परिणाम नहीं है।
4. **विधिक महत्व:** TIP की विश्वसनीयता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे परेड की निष्पक्षता (यह सुनिश्चित करना कि संदिग्ध को हाइलाइट न किया जाए या अधिक ध्यान देने योग्य न बनाया जाए), अपराध और पहचान के बीच का समय अंतराल, और साक्षी द्वारा पहचान की स्थिरता। यदि TIP निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाता है, तो यह न्यायालय में महत्व रख सकता है, लेकिन यह दोषसिद्धि के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में अकेले नहीं खड़ा हो सकता है।

28. प्रश्न यह है कि क्या 'A' ने 'B' को लूटा। ये तथ्य कि 'B' के लूट जाने के पश्चात 'C' ने 'A' की उपस्थिति में कहा "“B' को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है," और यह कि उसके तुरंत पश्चात 'A' भाग गया। कारण देते हुए सुसंगतता निर्णीत कीजिए। [UP PCS(J) 2021]

Ans.- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत, A की उपस्थिति में C द्वारा दिया गया कथन – “पुलिस ‘B’ को लूटने वाले व्यक्ति की तलाश करने आ रही है” – धारा 8 (6 BSA) (आरोपी के आचरण से संबंधित) और संभावित रूप से धारा 6 (4 BSA) (रिस जेस्टे) के तहत सुसंगत और स्वीकार्य है, क्योंकि परिस्थितियाँ बताती हैं कि कथित लूट के बाद A के आचरण को स्थापित करने के लिए यह कथन सुसंगत हो सकता है।

धारा 8 (आरोपी का आचरण) (6 BSA) के तहत सुसंगतता:

साक्ष्य अधिनियम (6 BSA) की धारा 8 के अनुसार अभियुक्त के आचरण का साक्ष्य सुसंगत हो सकता है यदि यह दोषी मन या अपराध की चेतना को इंगित करता है। इस मामले में, यह तथ्य कि C के कथन के तुरंत बाद A भाग गया, अपराध की चेतना का सुझाव देता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि A को लगा कि वे लूट में शामिल हो सकते हैं, इसलिए जब C ने उल्लेख किया कि पुलिस लुटेरे की तलाश करने आ रही है, तो भागने का प्रयास किया। यह व्यवहार दोषी ज्ञान का संकेत है और इसलिए यह इस विवादक तथ्य के लिए सुसंगत है कि क्या A ने लूट की है।

धारा 6 (रिस जेस्टे) के तहत सुसंगतता:

धारा 6 (4 BSA) उन तथ्यों को सुसंगत बनाती है जो एक ही संव्यवहार का हिस्सा हैं। C द्वारा दिया गया कथन लूट के संदर्भ से निकटता से जुड़ा हुआ है और लूट के कृत्य के तुरंत बाद दिया गया है। कथन के जवाब में A का भागना उसी संव्यवहार का हिस्सा माना जा सकता है, इस प्रकार अपराध में A की भागीदारी निर्धारित करने में इसकी सुसंगतता को मजबूत करता है।

निष्कर्ष: C द्वारा दिया गया कथन और इसे सुनने के तुरंत बाद A का आचरण (भागना) सुसंगत है क्योंकि यह A की अपराध की चेतना को इंगित कर सकता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA की धारा 6 और 4) की धारा 8 और 6 के तहत स्वीकार्य है। इस साक्ष्य का उपयोग लूट में A की भागीदारी का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसे मामले में अन्य साक्ष्यों के साथ तौला जाना चाहिए।

29. बताएं कि क्या निम्नलिखित मामलों में साबित करने के लिए मांगे गए तथ्य सुसंगत हैं।

- (i) 'क' पर 'ख' को मारने के आशय से गोली चलाने का आरोप है। 'क' के आशय को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करना चाहता है कि 'क' ने पहले एक 'ग' को गोली मारी थी।

Ans.- दिए गए मामले में, यह तथ्य कि क ने पहले ग को गोली मारी थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (BSA 2023) के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत सुसंगत है:

1. **धारा 8 (6 BSA)- हेतु, तैयारी और आचरण:**

यह धारा अभियुक्त के आचरण से संबंधित साक्ष्य को स्वीकार करने की अनुमति देती है, जिसमें पिछले कार्य शामिल हैं जो हेतु या आशय को स्थापित करने में मदद करते हैं।

यह तथ्य कि क ने पहले ग को गोली मारी थी, ख की कथित शूटिंग के समय क के हेतु या मन की स्थिति को दिखाने के लिए सुसंगत है। यदि क ने पहले किसी को गोली मारी थी, तो यह हिंसक व्यवहार के स्वरूप का सुझाव दे सकता है, जो इस दावे का समर्थन कर सकता है कि क का ख को मारने का आशय था।

2. **धारा 14 (12 BSA)- सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य:**

यह धारा उन तथ्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है जो सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने में मदद करते हैं।

ग पर पहले गोली चलाने की घटना का इस्तेमाल ख से जुड़ी मौजूदा घटना के दौरान क की मनःस्थिति या आशय के बारे में सुसंगत तथ्य पेश करने के लिए किया जा सकता है। यह स्थापित करने में मदद कर सकता है कि क में हिंसा की प्रवृत्ति थी या ऐसा इतिहास था जो ख पर गोली चलाने की व्याख्या कर सकता है।

निष्कर्ष: यह तथ्य कि क ने पहले ग पर गोली चलाई थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA की धारा 6 और 12) की धारा 8 और धारा 14 के तहत सुसंगत है क्योंकि यह ख से जुड़े वर्तमान मामले में क के हेतु, आचरण और आशय को स्थापित करने में मदद कर सकता है। ऐसे साक्ष्य संकेत दे सकते हैं कि क में हिंसक प्रवृत्ति थी, जो ख को मारने के क के आशय को साबित करने के लिए सुसंगत हो सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल असुसंगत चरित्र साक्ष्य पेश करके क को अनुचित रूप से पक्षपाती बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है।

BSA MAINS PAPERATHON

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

- (ii) 'क' पर बल्ला करने का विचारण किया जाता है और उसका भीड़ के आगे-आगे चलना साबित कर दिया जाता है; अभियोजन पक्ष यह साबित करना चाहता है कि भीड़ चिल्ला रही थी।

[UP PCS(J) 1992, 2003, HJS 1999]

Ans.- इस मामले में, यह तथ्य कि भीड़ चिल्ला रही थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत सुसंगत है।

सुसंगत प्रावधान:

1. धारा 8 (6 BSA) - अभियुक्त का आचरण:

यह धारा अपराध के संबंध में अभियुक्त और अन्य लोगों के आचरण के बारे में साक्ष्य की अनुमति देती है। यह तथ्य कि क भीड़ के मुखिया के रूप में मार्च कर रहा था, भीड़ के नेता के रूप में क के आचरण को स्थापित करने के लिए सुसंगत है।

भीड़ का चिल्लाना भीड़ के आचरण के हिस्से के रूप में भी सुसंगत हो सकता है, जो दंगा की तीव्रता और प्रकृति को प्रदर्शित करता है।

2. धारा 7 (5 BSA) - तथ्य जो विवादक तथ्यों का अवसर, कारण या प्रभाव हैं:

चिल्लाना एक ऐसे कार्य के रूप में सुसंगत हो सकता है जो अपराध के किये जाने के साथ होता है या उसे प्रभावित करता है। यह तथ्य कि दंगा करते समय भीड़ चिल्ला रही थी, यह साबित करने में मदद कर सकता है कि भीड़ विधिविरुद्ध गतिविधि में लिप्त थी और यह दिखाने में योगदान देता है कि नेता के रूप में क दंगा को बढ़ावा देने और संगठित करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

3. धारा 11 (9 BSA) - सुसंगत तथ्य:

यह धारा सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्यों को स्वीकार करने की अनुमति देती है। चिल्लाना घटना का एक हिस्सा माना जा सकता है जो दंगा के तरीके और उसमें क की भूमिका को प्रस्तुत करता है या स्पष्ट करता है। यह संदर्भ प्रदान करता है और भीड़ की गतिविधियों की प्रकृति को स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष:

यह तथ्य कि भीड़ चिल्ला रही थी, दंगा करने के आरोप के लिए सुसंगत है, क्योंकि यह भीड़ के आचरण और इसका नेतृत्व करने में क की सक्रिय भूमिका को स्थापित करने में मदद कर सकता है। चिल्लाना उपद्रव की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाता है, जो दंगा करने के आरोप को साबित करने में महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, 7 और 11 के तहत स्वीकार्य और सुसंगत है।

Paperathon® Booklet

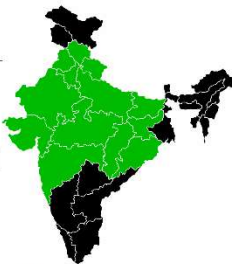
is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Unique Features

1. Sections Switching Table
2. Subject wise Division
3. Cut-Off (Result) Analysis
4. Chapter Wise Bifurcation
5. State Wise PYQ Coverage
6. Subject Weightage Analysis
7. Linked Provision & Explanation
8. Diglot Edition

Paperathon Booklet is smart analysis of all questions covered in previous papers of judiciary exam



Paperathon Covered States



Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

Linking Bare Act®

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Available Bare Acts

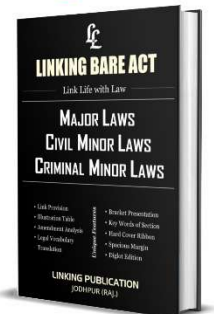
1. BNS 2023
2. BNSS 2023
3. BSA 2023
4. CPC 1908
5. Local Laws
6. Family Laws
7. Constitution
8. Civil Minor Laws
9. Criminal Minor Laws
10. Criminal Manual Major Laws
(BNS, BNSS, BSA)



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)



QR for Buy or visit
www.LinkingLaws.com



E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

साक्षात्कार प्रश्न - हल

Sample Preview

BSA INTERVIEW QUESTIONS

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (IEA, 1872)

1. साक्ष्य अधिनियम के तीन मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

Ans. (1) साक्ष्य हमेशा विवादित तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए।
(2) प्रत्येक मामले में, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(3) संपुष्ट साक्ष्य अस्वीकार्य है, इसलिए इसे हमेशा बाहर रखा जाना चाहिए।

2. क्या साक्ष्य अधिनियम लेक्स-फोरी या लेक्स-लोकी है?

Ans. सर, लेक्स फॉरी।

3. लेक्स फोरी का क्या मतलब है?

Ans. कार्रवाई के स्थान (देश) की विधि।

4. सुसंगतता और स्वीकार्यता के बीच अंतर क्या है?

Ans. सुसंगत तथ्य आवश्यक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं लेकिन स्वीकार्य तथ्य सुसंगत हैं। सुसंगत का मतलब है कि जो तार्किक प्रमाण है। स्वीकार्यता तर्क पर है लेकिन विधि और सख्त नियमों पर। जो तथ्य सुसंगत हैं वे आवश्यक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं जबकि जो तथ्य स्वीकार्य हैं वे आवश्यक रूप से सुसंगत हैं।

5. उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए।

Ans. जिस प्रकार धारा 122 के अंतर्गत आने के कारण पति-पत्नी के बीच संसूचना अस्वीकार्य है, इस तथ्य के बावजूद कि मुवक्किल द्वारा नौकरी के दौरान वकील को दी गई जानकारी विवादित मामलों के लिए सुसंगत नहीं है (धारा 126)। (132 BSA)

6. अन्वीक्षा रिपोर्ट (पंचनामा) क्या है?

Ans. अन्वेषण के दौरान पुलिस साक्षीयों (दो या दो से अधिक व्यक्तियों) को घटनास्थल पर मृत व्यक्तियों या घायल व्यक्तियों को देखने के लिए बुलाती है, उन्हें पंच कहा जाता है। पंचनामा इन साक्षीयों ने जो कुछ भी देखा था उसका अभिलेख है। मृत्यु की अन्वीक्षा रिपोर्ट में कथन ही साक्ष्य नहीं है। (सीआरपीसी की धारा 174)।

7. टेप-रिकॉर्डिंग किस प्रकार का साक्ष्य है?

Ans. सर, दस्तावेजी साक्ष्य।

8. निश्चायक सबूत क्या है?

Ans. जहां इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, न्यायालय उस तथ्य से साबित होने पर दूसरे को साबित मान लेगी और इसे अस्वीकार करने के उद्देश्य से साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगी। (धारा 4)

9. रेस जेस्टे क्या है?

Ans. धारा 6 (4 BSA) में अंतर्निहित सिद्धांत, को कभी-कभी रेस गैस्टे कहा जाता है। इस मुद्दे का मतलब केवल एक संव्यवहार की बात थी। रेस जेस्टे को उन परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशेष मुकदमेबाजी कृत्य की स्वतः और अधोहस्ताक्षरी घटना हैं और जो इस तरह के कृत्य के उदाहरण के रूप में स्वीकार्य हैं। एक ही संव्यवहार से संबंधित तथ्य रेस जेस्टे हैं। (धारा 6)

10. पहचान परेड कौन आयोजित करता है?

Ans. आम तौर पर, मजिस्ट्रेट, कोई भी व्यक्ति, पुलिस या मजिस्ट्रेट (यूपी राज्य में)।

11. पहचान ज्ञापन क्या है?

Ans. पहचान ज्ञापन उस कथन के अभिलेख के अलावा और कुछ नहीं है जो गवाह ने पहचान करने वाले व्यक्ति के सामने दिया था।

12. पहचान परेड का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

Ans. पहचाने गए साक्ष्य ठोस सबूत नहीं हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी साक्षी द्वारा न्यायालय में दिए गए कथन की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। (धारा 9) (7 BSA)

13. अन्यत्र का क्या मतलब है?

Ans. आरोपी घटना स्थल से दूर है। (धारा 11) (9 BSA)

14. एक स्वीकृति क्या है?

Ans. एक स्वीकृति एक मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कथन है जो किसी भी तथ्य या सुसंगत तथ्य के रूप में एक अनुमान को इंगित करता है। (धारा 17) (15 BSA)

15. स्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

Ans. सर, स्वीकृति एक ठोस सबूत है, हालांकि वे मामले का निश्चायक सबूत नहीं हैं। स्वीकृति विबंधन के रूप में कार्य कर सकती है।

16. क्या स्वीकृति स्वीकृत मामले का निश्चायक सबूत है?

Ans. नहीं सर। स्वीकृति विबंधन के रूप में कार्य कर सकती है।

17. एक संस्वीकृति क्या है?

Ans. सर, अभियुक्तों द्वारा अपराध के संबंध में स्वीकृति को संस्वीकृति कहा जाता है। यह अधिनियम में परिभाषित नहीं है।

18. संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

Ans. अगर संस्वीकृति सच और स्वेच्छा से है, तो यह ठोस सबूत है और इसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। (सुप्रीम कोर्ट)

19. स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर है?

Ans. (i) स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है जबकि संस्वीकृति निश्चायक सबूत है। इसके आधार पर आरोपी को सजा हो सकती है।
(ii) आम तौर पर सिविल मामलों में स्वीकृति दी जाती है, जबकि आपराधिक मामलों में संस्वीकृति की जाती है।

20. न्यायिक संस्वीकृति और न्यायेतर संस्वीकृति के बीच अंतर क्या है?

Ans. न्यायिक संस्वीकृति वे हैं जो एक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही के दौरान की जाती हैं। न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। न्यायेतर संस्वीकृति वह है जो अभियुक्त द्वारा न्यायालय के अलावा कहीं और की जाती है। यह एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, इसकी स्वीकार्यता उस व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है जिसके द्वारा इस तरह की संस्वीकृति की गई है।

21. पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति अस्वीकार्य क्यों है?

Ans. क्योंकि इसे स्वैच्छिक नहीं माना जाता है।

22. क्या सिविल मामलों में पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्वीकृति स्वीकार्य होगी?

Ans. हाँ सर, इसे स्वीकृति के रूप में सिद्ध किया जा सकता है।

23. बताया जाता है कि पुलिस आरोपियों के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। क्या यह सच है?

Ans. आरोपी के परीक्षण के दौरान पुलिस आरोपी को शारीरिक प्रताड़ना देती है, इसे आम बोलचाल में थर्ड डिग्री कहते हैं।

24. पुलिस अभिरक्षा का मतलब क्या होता है?

Ans. पुलिस अभिरक्षा का मतलब पुलिस नियंत्रण है, भले ही अभिरक्षा अवैध हो।

25. पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति कब सुसंगत है?

Ans. सर, जब एक मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में दी गई हो

26. मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति का क्या अर्थ है?

Ans. मजिस्ट्रेट को उस कमरे में उपस्थित होना चाहिए जहाँ अभियुक्त संस्वीकृति कर रहा है।

27. धारा 27 (23 PROVISIO BSA) में क्या प्रावधान है?

Scan QR
for
Landmark Judgments
(Year wise & Subject wise)





ALL-IN-ONE PAPERATHON[®]

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.

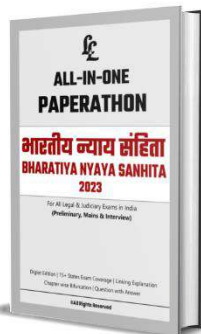
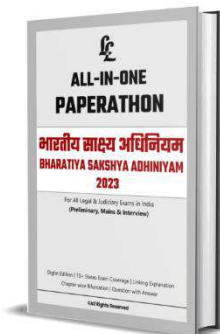
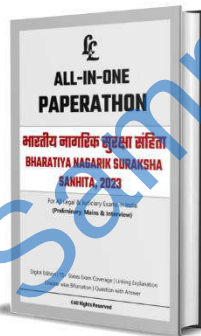
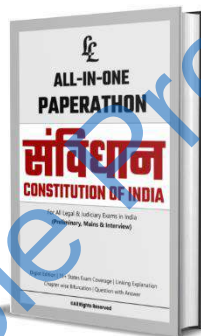
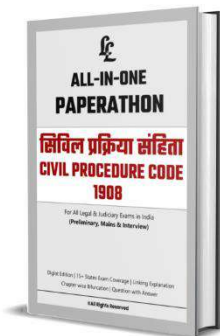
Available in English and Hindi Edition



Linking Support

988 774 6465 (Classes)

773 774 6465 (Publication)



Scan this QR

Order Now or visit

www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**



Linking Paperathon Booklets



Unique Features of Paperathon Booklet

- ◆ Subject-wise presentation with weightage analysis table
- ◆ Covered Last Previous Years Papers
- ◆ Linked Provision
- ◆ Diglot Q&A (English + Hindi)
- ◆ Explanation (English + Hindi)
- ◆ QR Code for Paper Solution Free Videos
- ◆ QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams



Linking Charts



Scan this QR Code
Place Order

Linking Bare Acts



Tansukh Paliwal

Sample Preview